राष्ट्रीय न्यास

वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015

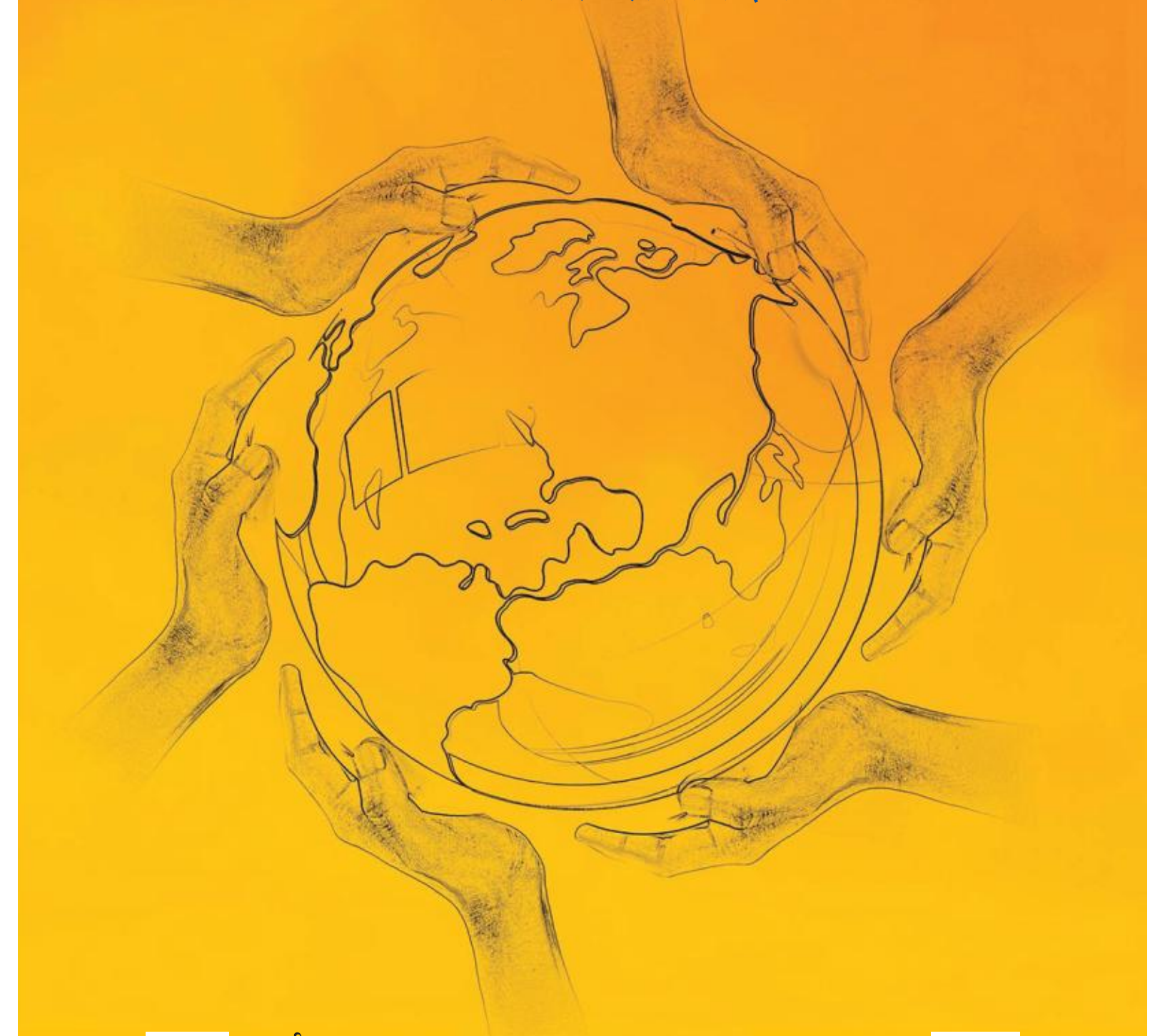

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110 060 दूरभाष: 011 43187878
ईमेल: contactus@thenationaltrust.in **वेबसाइट:** www.thenationaltrust.in

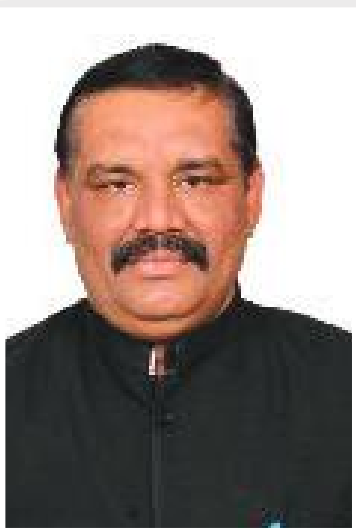

श्री विजय साम्पला
माननीय केन्द्रीय राज्यमंत्री,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार

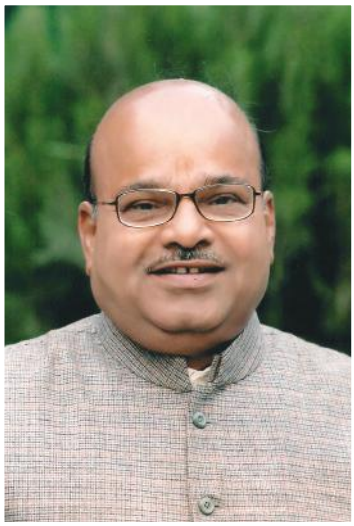

श्री थावरचन्द गेहलोत
माननीय केन्द्रीय मंत्री,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार

श्री कृष्ण पाल गुर्जर
माननीय केन्द्रीय राज्यमंत्री,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमति स्तुति कक्कड, सचिव विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग), श्रीमति किरण पुरी, संयुक्त सचिव व एफ.ए. (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग) द्वारा शिल्पोत्सव भ्रमण जिसमे राष्ट्रीय न्यास ने भी भाग लिया।

थावरचन्द गेहलोत
THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेलः min-sje@nic.in

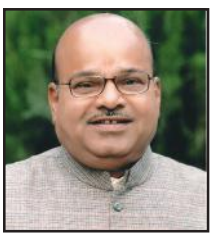

संदेश

राष्ट्रीय न्यास की 15 वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के अवसर पर, राष्ट्रीय न्यास की समस्त पंजीकृत संस्थाओं, बोर्ड के न्यासी, अधिकारियों, विकलांगजनों के अभिभावकों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुये, मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना सन् 1999 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत अभिभावकों की व्यापक चिन्ता **''जब मैं नहीं रहूँगा तब मेरे बच्चे का क्या होगा?''** के उत्तर को तलाशने के लिए की गई थी।

अभिभावकों की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा विकलांगजनों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुये राष्ट्रीय न्यास द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये एवं बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया गया। विभिन्न आयु समूहों के लिए विभिन्न योजनायें तैयार की गयी हैं जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय ''निरामय'' स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अन्तर्गत सभी आयु समूहों के विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों को 1 लाख रू0 तक की स्वास्थ्य बीमा सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं जिसमें ओ0पी0डी0, अस्पताल में भर्ती इत्यादि है।

बच्चों को मुख्य धारा के एवं विशेष विद्यालयों के लिए तैयार करने हेतु शीघ्र हस्तक्षेप योजना जिसे एस्पिरेशन–डे केयर सेन्टर के रूप में भी जाना जाता है तथा जिसका उद्देश्य 0–6 वर्ष की आयु समूहों के बच्चों को सेवायें उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत माता–पिता को भी उनके बच्चे के पालन एवं देख–रेख के लिए जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाता है।

इसी तरह वयस्कों के लिए समर्थ एवं घरौंदा स्थापित किया गया है। समर्थ योजना के अंतर्गत लघु कालीन एवं दीर्घकालीन आवासीय सुविधा उपलब्ध है। जबकि घरौंदा योजना में विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों को जीवन पर्यन्त आश्रय एवं देखभाल की सुविधायें उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा अभी तक बहुत कुछ किया गया है एवं निकट भविष्य में और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

मैं राष्ट्रीय न्यास के इस प्रयास में सफलता की कामना करता हूँ।

14.05.15

(थावरचन्द गहलोत)

D.O. No. 175 VIP/MOS(SJE)/2015

विजय साम्पला
VIJAY SAMPLA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मैं यह जानकर बेहद खुश हूँ कि राष्ट्रीय न्यास की आम सभा की बैठक दिनांक – 22 मई 2015 को आयोजित हो रही है।

राष्ट्रीय न्यास की दूरगामी योजनायें एवं कार्यक्रम यह स्पष्ट दर्शाते हैं कि संगठन का ठोस आधार बनाने में कड़ी मेहनत की गयी है। इतने वर्षों की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय न्यास ने योजनाओं को बड़ी संख्या में लागू करके एक अनुकरणीय काम किया है। विभिन्न आयु समूहों के लिए अलग योजना का गठन किया गया है। उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण एस्पिरेशन–डे केयर सेंटर है जिसे 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप योजना के रूप में भी जाना जाता है।

इसी प्रकार वयस्कों के लिए समर्थ एवं घरौंदा योजना है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना ने राष्ट्रीय न्यास को एक अलग पहचान दी है।

वार्षिक आम बैठक 2015 के अवसर पर राष्ट्रीय न्यास के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनायें।

विजय सांपला

(विजय साम्पला)

Office : 251, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23383757, 23383745, Fax : 011-23074097

कृष्ण पाल गुर्जर
KRISHAN PAL GURJAR

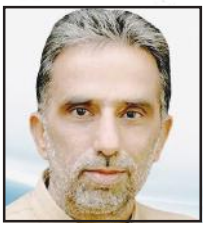

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

राष्ट्रीय न्यास के सभी स्टेक होल्डर्स को इसकी इसकी 15 वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के अवसर पर मेरी शुभकामनायें।

राष्ट्रीय न्यास की दूर–दृष्टि, एक ''समावेशी समाज की रचना करना, जिसमें मानव विविधताओं का सम्मान होता हो तथा जो विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों को गरिमा, समान अधिकार एवं अवसर के साथ स्वतंत्र रूप से जीवन यापन के लिये सक्षम एवं सशक्त बनाता हो'', मानव अधिकार के दृष्टिकोण पर आधारित बदले हुये भारत को दर्शाती है। इस दूर–दृष्टि की उपलब्धि के लिये जागरूकता की बहुत बड़ी भूमिका है। विशेष रूप से हमारे जैसे विशाल देश में जहॉ सीमित संसाधन एवं विशेषज्ञता उपलब्ध है।

सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष रूप से माता–पिता, पंजीकृत संगठन एवं स्थानीय स्तरीय समितियाँ राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सभी माता–पिता, विकलांगजनों एवं जो इनके साथ इस महान कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।

(कृष्ण पाल गुर्जर)

Office : 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr Rajender Prasad Road, New Delhi-110001, Tel. : 011-23072192, 23072193, Fax : 011-23072194

लव वर्मा
सचिव
LOV VERMA
Secretary
Tel: 011-24369055(O)/ 011-24369067(F)
Email: secretaryda-msje@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग
पांचवा तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स
लोदी रोड़, नई दिल्ली-110 003
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities
5th Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003

अध्यक्ष की रिपोर्ट

श्री स्कॉट हेमिल्टन ने सत्य ही कहा है कि विकलांगता सिर्फ व्यक्ति की सोच में है। आज भी व्यापक धारणा है कि विकलांग व्यक्ति हमारी सहानुभूति के अधिकारी हैं। नहीं वह सम्पूर्ण व्यक्ति हैं और सभी की तरह गरिमा एवं सम्मान का अधिकार रखते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने विकलांगता मामलों के विभाग का नाम बदलकर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग रख दिया।

इसी कोशिश में स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता व बहुविकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संसद द्वारा वर्ष 1999 को पारित किया गया एवं वर्ष 2000 से कार्य शुरू हो गया। विगत वर्षों से यह धारणा बन गयी है कि तेजी से बदलती तकनीक एवं माहौल में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में भी बदलाव की जरूरत है। इसी सोच ने मेरी पहली प्राथमिकता बनायी कि नियमों और विनियमों को फिर से तैयार किया जाये जो कि प्रक्रियाशील है।

तेजी से बदलते माहौल एवं अभिभावक एवं विकलांग व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये योजनाओं एवं कार्यक्रमों को भी बदलने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखकर एक एजेंसी को काम सौंपा गया है जो कि पूरे भारत वर्ष में हितधारकों से सलाह करके योजनाओं में बेहतरी के उपाय बतायेगी। हमें उम्मीद है कि इसी वित्तिय वर्ष में हम अपनी नयी योजनाओं का शुभारम्भ कर पायेंगे। इसके लिये आपका साथ मेरे लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

मुझे यह बताते हुये अपार प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार हमने नई दिल्ली नगर निगम, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया समूह के साथ मिलकर राहगिरी कार्यक्रम में भाग लिया। यह ऐसा अनूठा जागरूकता कार्यक्रम था जिसमें आम जनता को राष्ट्रीय न्यास की चारों विकलांगताओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

एक अन्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 100 यातायात संकेतों पर प्रचार सामग्री बांटी गई।

निरामय स्वाथ्य बीमा योजना जो कि वर्ष 2008 से चल रही है जिसमें वार्षिक प्रीमियम 99 रूपये एवं प्रशासनिक प्रभार 32 रूपये प्रति लाभार्थी दिया जाता था, में हम वार्षिक प्रीमियम 69 रूपये एवं प्रशासनिक प्रभार 30 रूपये प्रति लाभार्थी की बोली प्राप्त करने में कामयाव रहे। इसके फलस्वरूप शुरू में नकद बहिर्वाह का हमारा बोझ कम हो जायेगा। अतिरिक्त धनराशि के अभाव में भी बीमा कम्पनी किसी भी कारण से लाभार्थियों के दावों का भुगतान नहीं रोकेगी। पहले लाभार्थियों को नामांकन एवं नवीनीकरण वर्ष में 2 बार किया जाता था अब इसे मासिक करने की व्यवस्था की गई है। इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके अनुसार बीमा कम्पनी किसी भी गलत दावे के भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगी और उसके लिये कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभ सारणी में लाभार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर परिवर्तन किया गया है।

मैं राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की ओर से माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय श्री थावर चंद गेहलोत, माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय श्री विजय सांपला, संयुक्त सचिव, विकलांग सशक्तीकरण विभाग श्री अवनीश कुमार अवस्थी एवं संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सी. के. खेतान को अपना हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

(लव वर्मा)
सचिव, विंकलांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं
अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

मैं 19 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय न्यास में शामिल हुआ और इस जीवंत परिवार का एक हिस्सा बन गया। मैंने अपनी 27 वर्ष की सेवा में कभी भी इस क्षेत्र में काम नहीं किया व मुझे बौद्धिक विकलांगताओं के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। इसलिए इस क्षेत्र में काम करना मेरे लिए बहुत हृदयग्राही था। जब मैं न्यास से जुड़ा तो प्रमुख योजनाओं की अवधि समाप्ति पर थी और इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि, आगे बढ़ने से पहले, सामाजिक परिवर्तन व स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता व बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए योजनाओं में परिवर्तन किया जाए। इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया गया और इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है जिस एजेंसी को यह काम दिया गया है, वह चुनिन्दा पंजीकृत संस्थाओं, अभिभावकों, राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के न्यासियों वगैरह से परामर्श करके उनकी जानकारी के अनुसार योजनाओं में सुधार व परिवर्तन करेगी। अगले वित्त वर्ष, 2015–16, में हम परिवर्तित योजनाओं को प्रारम्भ करेंगे।

इस वर्ष अच्छा कार्य करने के लिए मैं पूर्व अध्यक्षा श्रीमति पूनम नटराजन व पूर्व अध्यक्ष, श्री पी० के० पिंचा, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड, और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अजय कुमार लाल को बधाई व धन्यवाद देता हूँ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब परिवर्तित योजनाओं को प्रारम्भ किया जाएगा तो इन योजनाओं पर व्यय बढ़ जाएगा, हमनें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग को वार्षिक अनुदान देने के लिए अनुरोध किया है। अगले वित्त वर्ष में स्थायी वित्त समिति हमारे प्रस्ताव पर विचार करेगी और उम्मीद है कि हमें अगले वित्त वर्ष से अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा।

यद्यपि हमारे पास पंजीकृत संस्थाओं, स्टेट नोडल एजेंसी केन्द्रों एवं स्थानीय स्तरीय समितियों का नेटवर्क है, परंतु इन के बीच में जो समन्वय का अभाव है उसे हमें विकसित करना है।

कानूनी अभिभावक की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसमें स्थानीय स्तरीय समितियों की केंद्रीय भूमिका है। इन मुद्दों को देखने के लिए, सभी जिलों में स्थानीय स्तरीय समितियां मौजूद हैं लेकिन वे ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, यहाँ तक कि वे बैठकें भी नहीं करते हैं और नियमित रूप से त्रैमासिक रिपोर्ट भी नहीं भेजते हैं। मैं उन सरकारी संगठनों से जो कि स्थानीय स्तरीय समिति के सदस्य हैं, से आग्रह करता हूँ कि वे स्थानीय स्तरीय स्मति की बैठकें आयोजित करने और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने के लिये स्थानीय स्तरीय समिति के अध्यक्ष से विचार विमर्श करें।

विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित व जागरूक करने की जरूरत है, जिसके लिए हमने कारवाई शुरु की है और अगले वर्ष में हम जिला स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

हमने एक नयी शुरुआत की और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, हिंदुस्तान टाइम्स व टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कनॉट प्लेस, नई दिल्ली व सुशांत लोक, गुड़गाँव में आयोजित राहगीरी के दौरान, जनसाधारण को जागरूक बनाने के लिए, विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। कनॉट प्लेस, नई दिल्ली का कार्यक्रम दो पंजीकृत संस्थाओं – मुस्कान व एक्शन फॉर औटिस्म और गुड़गाँव का कार्यक्रम विश्वास, गुड़गाँव की मदद से आयोजित किया गया।

मैं सभी पंजीकृत संस्थाओं से हमारे प्रयास में मदद करने के लिए अनुरोध करता हूँ। केवल पंजीकृत संस्थाओं के अच्छे काम इन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं।

सी. के. खेतान

सी. के. खेतान (भा.प्र.से.)

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास

विषय सूची

क्र. स.	विवरण	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के न्यासियों की सूची (31 मार्च 2015 तक)	10
2.	राष्ट्रीय न्यास के नियमित एवं अनुबंधित कर्मचारियों की सूची	12
3.	न्यास के उद्देश्य	13
कार्यक्रम व योजनाएँ		
4.	घरौंदा (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत विकलांग वयस्कों हेतु सामूहिक आवास एवं पुनर्वास गतिविधियों)	14
5.	समर्थ – केंद्र आधारित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आवासीय सेवाएँ	15
6.	निरामय – स्वास्थ्य बीमा योजना	15
7.	स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर	16
8.	सहयोगी	17
9.	ज्ञान प्रभा (छात्राव्रत्ति योजना)	17
10.	उद्यम प्रभा (प्रोत्साहन) योजना	18
11.	एस्पिरेशन – (अर्ली इंटरवेंशन) योजना	18
12.	संभव–राष्ट्रीय संसाधन केंद्र	19
13.	मानसिक विकास चिकित्सा संबन्धित कार्यशाला	20
14.	दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीय आत्म केंद्रित सम्मेलन	20
पंजीकरण एवं स्थानीय स्तरीय समिति		
15.	पंजीकरण	21
16	राज्यवार पंजीकृत संगठन	21
17.	स्थानीय स्तरीय समिति	22
18.	विधिक संरक्षकता	25
19.	प्रो. लोतिका सरकार को हार्दिक नमन	26
प्रकाशन एवं जागरूकता कार्यक्रम की रिपोर्ट		
20.	विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस समारोह	27
21	राहगीरी दिवस	27
22	आवागमन प्रवेश अनुभाग/एक्शनों पर जागरूकता	28
23.	सामर्थ्यता पत्रिका का माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा विमोचन	28
कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन		
24.	SKOCH शिखर सम्मेलन	29
25.	स्वच्छ भारत अभियान	29
26.	कॉरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (सी0एस0आर0)	30
27.	ज्ञान कार्यशाला	30

28. समग्र जागरूकता शिविर आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल 31
29. भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई0आई0टी0एफ0), दिल्ली एवं सिलीगुड़ी 33
30. सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 33
31. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं का मूल्यांकन प्रभाव 34

स्पंदन पुरस्कार समारोह–2014

32. स्पंदन 36
33. 14 वीं साधारण वार्षिक बैठक 38
34. सूचना का अधिकार अधिनियम 39

ऑडिट रिपोर्ट

35. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलना पत्र 40
36. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा 41
37. 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा जोखा 42

प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट

38. हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 51
39. शब्दावली/शब्द संक्षेप 52

राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के न्यासियों की सूची

(31 मार्च 2015 तक)

क्रमांक	नाम	पता	टेलीफोन नं./ई–मेल
1.	**श्री लव वर्मा**	अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड	011-43187800 contactus@thenationaltrust.in
2.	**श्री सी. के. खेतान**	संयुक्त सचिव और मु0का0अधि0, राष्ट्रीय न्यास	011-43187801, 8447036669 js_ceo_nt@thenationaltrust.in
3.	**संयुक्त सचिव** (विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, शास्त्री भवन मंत्रालय, नई दिल्ली	011-24369056, 9415115034 awanishkawasthi@gmail.com
4.	**संयुक्त सचिव** (आर. सी. एच.)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110108	011-23063255, 9717748689 jsud@nic.in
5.	**संयुक्त सचिव** (एफ. ए.)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली –110001	011-23350896, 9868965151 pravin.srivastava@nic.in, ddg-dget@nic.in
6.	**आर्थिक सलाहकार**	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	011-23385484, 9868829495 r.sadanandan@nic.in
7.	**संयुक्त सचिव** (एस. ई)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	011-23061723, 9868503588 rk1992uk@gmail.com
8.	**संयुक्त सचिव** (एस. ए.)	ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली	011-23384578, 8800394390 kirti.saxena@nic.in / krkirtisaxena@gmail.com
9.	**संयुक्त सचिव**	शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	011-23387924 puri.kiran@nic.in
10.	**उप महानिदेशक** (डी. जी. ई. व टी.)	श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	011-23384245, 8800661965 jalam.edu@nic.in

11.	**डॉ नीलम सोढ़ी**	उत्तर भारत सेरेब्रल पाल्सी एसोसिएशन, (आशीर्वाद), 100 विशाल नगर एक्सटेंशन, पखोवाल रोड, लुधियाना, पंजाब	0161-2564551, 9814922361 drneelamsodhi@yahoo.com ashiwadnicpa@gmail.com
12.	**प्रतिनिधि**	फिक्की, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली –110 001	011-23357243, 9868248478 kkupadhyay@gmail.com
13.	**प्रतिनिधि**	कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, 249 एफ, उद्योग विहार, फेज–4, सेक्टर –18, गुड़गांव 122015, हरियाणा	0124-4014060, 9818115512 niranjankhatri54@gmail.com
14.	**श्री गौरी शंकर गुप्ता**	कर्नाटक पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर एम.आर सिटीजन्स, # 18, बीरसान्द्र, मेन रोड, जयनगर, 1 ब्लॉक (ई), बंगलौर, कर्नाटक	8022441289, 9980160767 gaurigupta@yahoo.com
15.	**श्री किशोर मोहन भट्टाचार्य**	क्वार्टर नंबर 72 ए, गुवाहाटी विश्वविद्यालय कैम्पस, गुवाहाटी–14, असम	0361-2574812, 8486376987 kmb191@gmail.com
16.	**श्रीमती जयश्री रमेश**	अकादमी फॉर द सिवियरली हैंडीकैप्ड एंड ऑटिस्टिक एल –76/ए एच.वी.सी.एस., किर्लोस्कर कॉलोनी, तृतीय स्टेज, 4 ब्लॉक, बसवेश्वरनगर, बंगलौर, कर्नाटक	8023225279, 9343764415 rtnjramesh@gmail.com
17.	**श्री अनिल जोशी**	स्वीकार, 14, शिव शक्ति अपार्टमेंट, खामला मेन रोड, पांडे लेआउट, नागपुर 440025 महाराष्ट्र)	9818830940 anilujoshi@gmail.com

राष्ट्रीय न्यास के नियमित एवं अनुबंधित कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	पद
1.	श्री एस. के. मोहन्ती	उपनिदेशक (कार्यक्रम)
2.	श्री यू. के. शुक्ल	सहायक विधि सलाहकार
3.	श्री राजेश सचदेवा	लेखाधिकारी
4.	श्री एस. के. ठुकराल	निजी सचिव
5.	श्रीमती सुषमा घई	निजी सचिव
6.	श्रीमती रजनी मैसी	निजी सहायक
7.	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	निजी सहायक
8.	श्री अमिताभ त्रिवेदी	लेखाकार
9.	श्री नवनीत कुमार	कार्यक्रम अधिकारी
10.	श्रीमती मोनिका वधवा	कार्यक्रम सहायक
11.	श्रीमती वन्दना चोपड़ा	कार्यक्रम सहायक
12.	श्री भरत सिंह नेगी	अवर श्रेणी लिपिक
13.	श्री रामबिलास राजभर	चपरासी
14.	श्रीमती रेखा ममगॉई	चपरासी
15.	श्री रामआशीष	चपरासी
अनुबंधित कर्मचारी		
16.	श्रीमती लक्ष्मी रानी	उपनिदेशक (प्रशासन)
17.	श्री जसविंदर पाल सिंह खेड़ा	लेखा सहायक
18.	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	कार्यालय सहायक
19.	श्री मोमीन अंसारी	कार्यालय सहायक
20.	श्रीमती अनीता रानी	कार्यालय सहायक
21.	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक
22.	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक
23.	श्रीमती रीनू पॉल	कार्यालय सहायक
24.	श्री गुड्डू	सफाई कर्मचारी

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता व बहुविकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संसद द्वारा 30 दिसम्बर 1999 को पारित किया गया। खंड–3 एवं धारा 10 में राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों का उल्लेख है।

न्यास के उद्देश्य

- विकलांगजनों को समर्थ और सशक्त बनाना, जिससे कि वे समुदाय के भीतर और निकट यथा संभव स्वतन्त्र रूप से और पूर्ण रूप से रह सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं।
- विकलांगजनों की सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करें जिससे कि वे अपने परिवार के साथ रह सकें;
- पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करें जिससे कि वे विकलांगजनों को परिवार में संकट की अवधि के दौरान जरूरत आधारित सेवाएं उपलब्ध करा सकें,
- विकलांगजनों की समस्याओं का निपटारा करना जिन्हें परिवार से सहायता नहीं मिलता;
- विकलांगजनों के संरक्षकों या माता–पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
- विकलांगजनों को जिन्हें ऐसी सुरक्षा की जरूरत है संरक्षकों और समिति की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
- विकलांगजनों की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना;
- और कोई अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशंगिक हों।

कार्यक्रम व योजनाएँ

घरौंदा (राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत विकलांग वयस्कों हेतु सामूहिक आवास एवं पुनर्वास गतिविधियों)

वर्ष 2008 मे राष्ट्रीय न्यास के तहत विकलांग वयस्क के लिए आजीवन आवास और देखभाल सुविधाएँ प्रदान करने के लिए घरौंदा – सामूहिक आवास योजना की शुरुआत की गयी। जो की स्वपराणयता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांग वयस्क व्यक्तियों को आजीवन आवास और देखभाल सुविधाएं प्रदान करेंगे। यह योजना भुगतान के आधार पर देखभाल सेवाओं की निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

घरौंदा केन्द्र, डेरा गॉव, दिल्ली

अब तक, निम्नलिखित १२ संगठनों को मंजूरी दी गयी है . (१) सावली (पुणे), (२) केपीएमआरसी (बेंगलुरु), (३) ओपन लर्निंग सिस्टम (भुवनेश्वर), (४) प्रयास (पश्चिम बंगाल), (५) पार्टनर हुगली (पश्चिम बंगाल), (६) छत्तीसगढ़ सरकार (रायपुर), (७) उत्तराखंड सरकार (हरिद्वार), (८) त्रिपुरा सरकार (अगरतला), (९) हरियाणा सरकार (चंडीगढ़), (१०) डेरा, मुस्कान (दिल्ली), (११) आधार (नासिक), (१२) स्वयं क्रूशी (आंध्र प्रदेश)

इनमें से निम्नलिखित ८ संगठन क्रियाशील हो गए है . (१) सावली (पुणे), (२) केपीएमआरसी (बेंगलुरु), (३) ओपन लर्निंग सिस्टम (भुवनेश्वर), (४) प्रयास (पश्चिम बंगाल), (५) पार्टनर हुगली (पश्चिम बंगाल), (६) छत्तीसगढ़ सरकार (रायपुर), (७) डेरा, मुस्कान (दिल्ली), (८) आधार (नासिक), घरौंदा योजना के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एन.एल.एस.सी) का गठन किया गया है।

दिनाँक १६, फरवरी, २०१५ को, राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष एवं सचिव, विकलांग सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता मे चौथी राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एन.एल.एस.सी.) की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रतिभागि घरौंदा योजना मे संशोधन करने हेतु अपनी टिप्पणी राष्ट्रीय न्यास को भेजेंगे और सभी घरौंदा केन्द्रों मे न्यूनतम देखभाल मानकों को लागू किया जाएगा।

इस वर्ष 32 लाख रुपये की राशि 2 घरौंदा केन्द्रों को जारी किया गया है । विस्तृत सूची नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

समर्थ – केंद्र आधारित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आवासीय सेवाएँ

समर्थ योजना का अब दसवाँ वर्ष चल रहा है, इस योजना के अंतर्गत आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगजन व्यक्तियों के लिए अल्पावधि (थोड़े समय के लिए राहत की देखभाल) और लंबी अवधि (लंबे समय तक देखभाल) के लिए आवासीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय न्यास समर्थ योजना को वर्ष 2005 से चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत 119 समर्थ केन्द्रों को विभिन्न चरणों में अनुमोदित किया गया। यह योजना नौ वर्षों के लिए अनुमोदित की गयी, जिसमे कि अनुदान 8 वर्ष तक निर्गत करने का प्रावधान है। 80 समर्थ केन्द्रों के अनुदान निर्गत करने कि अवधि समाप्त हो चुकी है तथा बाकी केन्द्रों को अक्तूबर 2016 में अनुदान देने की अवधि पूरी हो जाएगी। जानकारी हेतु लिंक को देखें

इस वर्ष, 15 समर्थ केन्द्रों को 6.73 लाख रुपये की राशि निर्गत की जा चुकी है। सूची वेबसाइट में उपलब्ध है। समर्थ योजना का संशोधन किया जा रहा है।

निरामय – स्वास्थ्य बीमा योजना

1 निरामय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगजनों के लिए एक अत्यंत लाभकारी एवं अनूठी स्वास्थ्य बीमा योजना हैं। यह स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में 10 चुने हुऐ जनपदों में पायलट रूप से शुरू की गई थी, जो कि बाद में पूरे देश (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) में कार्यान्वित की गई।

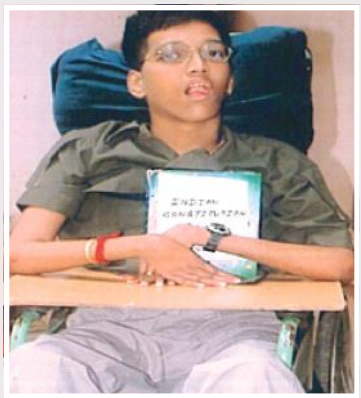

टी. कस्तूरी रामचन्द्र
लाभार्थी

श्री भरत कुमार झम्ब
लाभार्थी

2 इस के अंतर्गत 1 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा वाय् या उपचार एवं अस्पताल सेवा के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा इस योजना में लाभ हेतु रूपये 250/– की साधारण राशि रूपये 15000 तक प्रति माह वेतन पाने वालों के लिए एवम रूपये 500/– की राशि रूपये 15000/– से अधिक वेतन पाने वालों के लिए रखी गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे विकलांगजनों को इस योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा जिसके लिए उन्हे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने (बीपीएल) आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ई–कार्ड को प्रिंट करने का प्रावधान हमारी वैबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अब तक इस योजना के तहत 1.47 लाख लाभार्थियों को नामांकीत किया गया है, जिसमे 38512 लाभार्थियों को 14.52 करोड़ रूपये दावा बीमा राशि निर्गत की गयी हैं, जिसमे कि इस वर्ष 2014–15 में 50541 लाभार्थियो का नामांकन एवं 9372 लाभार्थियों को 4.97 करोड़ रूपये दावा की गयी राशि की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।

स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC)

राष्ट्रीय न्यास को एक राष्ट्रीय निकाय होने के नाते, प्रत्येक राज्य में अपने प्रतिनिधियों को रखना जरूरी है जिससे कि वह स्थानीय जानकारी और विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यक्रमों और गतिविधियों से लाभान्वित कर सके। इसलिए प्रत्येक राज्य में प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों में से स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) की नियुक्ति कि गयी। SNAC राज्यों की राजधानी में स्थापित की गयी हैं ताकि पूरे राज्य में काम किया जा सके। इस साल संशोधित दिशा–निर्देशों और नए वित्त प्रावधानों के तहत कुछ राज्यों में SNAC पुनः नियुक्त किए गए है और कुछ राज्यों में नए SNAC नियुक्त किए गए। वर्तमान में, 28 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में 31 SNACs नियुक्त किए गए हैं।

चार साल पहले, यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार के समन्यवय से विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिय संबंधित राज्य के विकलांग/समाज कल्याण के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) का गठन किया गया। यह SNAC को राज्य सरकार के साथ बातचीत और संपर्क करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी और SLCC विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक से अधिक समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक मंच का काम कर रहा है। 31 राज्यों/केंद शासित प्रदेशों में SNAC स्थापित किया गया है।

स्नैक समीक्षा बैठक, देहरादून, उत्तराखण्ड

इस वर्ष रूपये 39.60 लाख 28 SNACs के लिए जारी किया गया है । विस्तृत सूची नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय न्यास ने राफेल (राज्य नोडल एजेंसी सेंटर, उत्तराखंड) की मदद से, 21–22 जुलाई 2014 का सभी SNAC की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में, जिला कलेक्टर, कोल्लम, केरल ने भी भाग लिया और राष्ट्रीय न्यास की योजनाओ को, विशेष रूप से स्थानीय स्तरीय समिति (LLC) को जिला और राज्य मे कार्यान्वयन साझा किया। इस उद्देश्य के साथ की सभी SNAC समन्वयक शहर में सफलतापूर्वक चलाये जा रहे शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र और समूह आवास का दोरा करे, SNAC की समीक्षा बैठक का आयोजन देहरादून, उत्तराखंड मे किया गया।

23 जुलाई 2014 को, मुख्य सचिव, उत्तराखंड की अध्यक्षता में एक रोड मैप बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमे उत्तराखंड के सभी जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना में भाग लिया।

सहयोगी

सहयोगी योजना की परिकल्पना उन विकलांगजनों को सहायता प्रदान करने हेतु हुई है जिन्हे अपनी दैनिक कार्यों को करने मे व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होती है। इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित केयर गिवर विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है। और अपनी मदद से उन्हे घर से बाहर आने जाने और उनके काम करने के लिए सक्षम बनाता है। इस योजना मे उनके कौशल को बढ़ाने और आजीविका कमाने के लिए केयर गिवेर उन्हे सक्षम बनाता है।

इस योजना के तहत, पूरे देश मे कुछ चुने हुये गैर सरकारी संगठनो को विशेषज्ञों और पेशेवरों, जिन्हे मास्टर ट्रेनर कहा जाता है के माध्यम से विभिन्न बैचों मे केयर गिवेर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केयर गिवेर केंद्र बनाये गए है। केयर गिवेर के पंजीकरण एवं केयर सीकर के नामांकन इन केयर गिवेर केन्द्रों मे होती है। देश मे, 40 अनुमोदित केयर गिवेर केन्द्रों मे से 36 केयर गिवेर केंद्र स्थापित किए जा चुके है। इस योजना के तहत 2435 केयर गिवर की कौशल का निर्माण किया गया है तथा 1030 केयर गिवेरो को तैनात किया गया है।

केयर गिवर प्रशिक्षण मॉड्यूल को मानकीकृत करने के लिए 25,फरवरी 2015 को राष्ट्रीय न्यास मे बैठक की गयी, जिसमे यह निर्धारित किया गया कि केयर गिवर प्रशिक्षण को 3 श्रेणियों मे – व्यक्तिगत देखभाल, संस्थागत देखभाल और माता–पिता के माध्यम से देखभाल बनाया जाएगा। यह भी निर्धारित किया गया कि केयर गिवर को इस व्यवसाय मे बनाये रखने मे अभिप्रेरित करने के लिए एक निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए।

इस वर्ष, केयर गिवर प्रशिक्षण हेतु 3 संस्थाओ को 1.06 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप मे प्रदान किए गए। विस्तृत सूची राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस योजना का संशोधित किया जा रहा है।

ज्ञान प्रभा (छात्रावृत्ति योजना)

इस योजना के तहत विकलांग जन व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनको वित्तिए सहायता प्रदान की जाती है जिससे की वह उच्च शिक्षा, व्यावसायिक अध्ययन तथा हर प्रकार के कौशल विकास पाठ्यक्रम को अपनाने में मदद करता है। यह योजना वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुई तथा वर्ष 2010 में संशोधि ात की गयी। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- योजना किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण/ कौशल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए है।
- इसमें एक वर्ष के लिए प्रति माह 1000 रूपये दिये जाने का प्रावधान है ।
- नवीनीकरण कक्षा में नियमित उपस्थिति के आधार पर किया जाता है (जोकि शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान के मुखिया द्वारा प्रमाणित हो)
- कोई न्यूनतम योग्यता नहीं।
- कोई आय सीमा नहीं।

योजना के तहत आवेदन पत्र नेशनल ट्रस्ट (www.thenationaltrust.in) के वेब इनेबल्ड वेब साइट के माध्यम से MIS में ऑन लाइन आवेदित किया जा सकता है। आवेदन पूरे साल में वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप के तहत व्यक्तिगत रूप में कभी भी जमा किया जा सकता है। अबतक इस योजना के तहत 75 छात्रों को 4. 7 लाख रूपये निर्गत किए जा चुके हैं जिसमे इस वर्ष 2014–15 में 7 छात्रों को 64,800/– रूपये निर्गत राशि भी शामिल है। इस योजना को भी संशोधित किया जा रहा है।

उद्यम प्रभा योजना

उद्यम प्रभा योजना राष्ट्रीय न्यास द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की आय सृजन हेतु आर्थिक गतिविधि के लिए रियायती दरों पर ऋण कि सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रोत्साहन की ये दर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों (बी.पी.एल.) के लिए 5 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों के लिए 3 प्रतिशत तय है।

यह योजना इतनी सफल नहीं हो सकी क्योंकि विकलांगजन जोकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उन्हे ऋण लेने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। इस योजना को संशोधित किया जा रहा है।

एस्पिरेशन – (अर्ली इंटरवेंशन) योजना

राष्ट्रीय न्यास ने 0–6 साल की उम्र के बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप/ स्कूल तत्परता कार्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए एस्पिरेशन योजना लागू की। इस योजना के तहत देश में 79 केन्द्रों को स्थापित किया गया। इस योजना को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को विशेषज्ञों के माध्यम से शीघ्र हस्तक्षेप तकनीक और कौशलता में प्रशिक्षित किया गया।

इस योजना के तहत 1580 विकलांग बच्चों और उनके माता पिता को प्रशिक्षित किया गया। योजना 6 साल के लिए थी जिसकी अवधि अगस्त, 2014 में समाप्त हो गयी है। इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय न्यास द्वारा गैर सरकारी संगठनों जोकि इस योजना को कार्यान्वित कर रहे थे, उन्हे उनकी क्षमता निर्माण के लिए शीघ्र हस्तक्षेप पर प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा सेंट फ्रांसिस होम, पठानकोट, स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) पंजाब की सहायता से लुधियाना में 0–6 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप ट्रांस– डिसीप्लीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 मई 2014 से 17 मई 2014 तक आयोजित किया गया जिसमे पंजाब की गैर सरकारी संस्थायों से 32 विशेषज्ञों ने भाग लिया जिससे कि वे बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं को प्रदान कर सकें

एस्पिरेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, लुधियाना, पंजाब

राष्ट्रीय न्यास शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा विकलांग बच्चों को इस सेवा से लाभान्वित किया जा सके।

संभव–राष्ट्रीय संसाधन केंद्र

विकलांग व्यक्तियों के लिए, संभव– राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, की स्थापना AADI, नई दिल्ली (राष्ट्रीय न्यास पंजीकृत संगठन) मे की गयी है। यह सार्वभौमिक डिजाइन (Universal Design) के सिद्धांतों को जीवन के विभिन्न तरीकों जैसे संचार (समझ और संचार के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करते हुए); सीखने और चलना आदि को प्रदर्शित करता है।

संभव केन्द्र में मौजूद सहयोगी उपकरण, आदी, दिल्ली

देश में विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियों एवं विभिन्न सहायक उपकरणों और सॉटवेयर की जानकारी को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय हब में एकी.त किया गया है। ताकि वह इनका उपयोग कर सके।

एक बड़ी संख्या मे विकलांग जन एवं उनके माता–पिता ने संभव– राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का दौरा किया गया है। समूह संवेदीकरण और ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 3165 विकलांग जानो और उनके माता पिताओ ने संभव केंद्र का दौरा किया है। दिल्ली में संभव केंद्र से संपर्क करने का विवरण निम्नानुसार है

एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इन्क्लूजन
2, बलबीर सक्सेना मार्ग, हौज खास, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली
(हौज खास मेट्रो स्टेशन के पास)
दूरभाष। 011–26864736
संपर्क व्यक्तिः सुश्री मानुजा मिश्रा / श्री विनय विज
मोबाइलः 9968304227, फैक्सः 26853002
ईमेल। aadi_jagruti@yahoo.com

2014–15 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 16 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। जिसमे 2013–14 के लिए 8 लाख और 2014–15 के लिए 8 लाख रुपये शामिल है।

मानसिक विकास चिकित्सा संबन्धित कार्यशाला

राष्ट्रीय न्यास के सहयोग से स्पस्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडू द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का 13–17 अक्तूबर 2014 को आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय "Introduction to BOBATH Therapy - Hands on" था एवं इस कार्यशाला का सम्बोधन सुश्री करीन क्रूसका द्वारा किया गया। सुश्री करीन क्रूसका, Bobath Therapist जर्मनी राष्ट्र से हैं।

पूरे राष्ट्र से तकरीबन 11 फिजियोथैरेपिस्ट तथा 2 ओकूपशनल थेरपिस्ट ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में कई थेओरी एवं प्रेक्टिकल सत्र आयोजित किए गए।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को स्पास्टन (SPASTN) संस्था का दौरा करने का मौका मिला। उन्होने बच्चों को वोकशनल ट्रेनिंग सेंटर में काम करते देखा। उन्होने बच्चों की अर्लि इंटेर्वेंशन सेंटर तथा मल्टिपल डिसबिलिटी यूनिट तथा प्ले स्कूल में गतिविधियां देखी। कुछ बच्चे शेक्षिक यूनिट (ओपेन बेसिक एडुकेशन, दसवीं, बारहवीं एवं NIOS) में पढ़ रहे थे। उन्होने विभिन्न सुविधाएं जैसे कि फिजियाथैरेपी, सेंसरी इंटेग्रेशन, स्पीच एवं लेंगवेज थैरेपी, हाइड्रोथैरपी, किनेक्ट एक्स–बॉक्स सेशन, म्यूजिक/ मूवमेंट थेरपी। उन्हे विभिन्न पाठ्येक्रमों कि जानकारी भी दी गयी।

दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीय आत्म केंद्रित सम्मेलन

एक्शन फॉर ऑटिज्म ने 5 से 12 फरवरी 2015 तक दक्षिण एशियाई अंतरराष्ट्रीय आत्मकेंद्रित सम्मेलन का आयोजन इंडिया हेबीटेट सेंटर, नयी दिल्ली में किया। अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन में तीन मुख्य विषयों को लिया गया–

(i) ऑटिज्म एवं विकासात्मक विकलांगता शेध विषयों पर सम्मेलन पूर्व कार्यशाला

(ii) मित्रता, अमित्रता नहीं: भविष्य के लिए तथा

(iii) युवा विकलांग जन जो ऑटिज्म से प्रभावित है उनकी समाजिक प्रतिभा को उभारने हेतु प्रशिक्षण।

राष्ट्रीय न्यास ने अपनी स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर (SNACs) के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रायोजित किया।

इंडिया हेबीटेट सेंटर, दिल्ली में आयाजित दक्षिण एशियाई अंतर्राष्ट्रीय आत्मकेंद्रित सम्मेलन

पंजीकरण एवं स्थानीय स्तरीय समिति

पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 12 के तहत उन संगठनों (जैसे कि कोई स्वैच्छिक संस्था, विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों का संगठन अथवा विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के अभिभावकों का संगठन) के पंजीकरण की व्यवस्था है जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आवेदन करने से ले कर प्रसंस्करण और अनुमोदन या अस्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया वर्ष 2010 से ऑनलाइन है। यह न केवल ऑनलाइन है बल्कि बहुत पारदर्शी भी है। इस के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को एक स्वचालित ई–मेल के माध्यम से उसके आवेदन की स्थिति की सूचना दी जाती है।

संस्थाओं का पंजीकरण पूरे वर्ष भर किया जाता है। पूरी प्रक्रिया को कारगर बनाने तथा आवेदनों की समय पर प्रस्तुति तथा निपटारा करने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु कई उपाय किए गए हैं। बढ़ते कदम जैसे विभिन्न अभियानों की मदद से अब तक कवरेज से बाहर जिलों में विकलांगता, यूएनसीआरपीडी तथा राष्ट्रीय न्यास के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बारे में जागृति फैलाने के फलस्वरूप इन जिलों में कार्यरत संस्थाओं के पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है। संगठनों के पाँच वर्षीय पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने को उनसे बार–बार अनुरोध किया जाता है।

यह नवीनीकरण 3 माह पूर्व ऑनलाइन भी किया जा सकता है। प्रपत्र–ई के सहित पंजीकरण/पुनः पंजीयन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। फिर भी, हम अपने सभी संगठनों को यह सूचित कर देना चाहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते वक्त वे निर्धारित प्रपत्र को पूरी तरह भरें ताकि उनके आवेदन का त्वरित निपटारा हो सके। प्रपत्र को पूरी तरह से न भरने के कारण अनावश्यक देरी हो जाती है।

राज्यवार पंजीकृत संगठन (31.3.2015 तक)

क्र.	राज्य	पंजीकृत संगठन	क्र.	राज्य	पंजीकृत संगठन
1.	ऑन्ध्र प्रदेश	33	15.	महाराष्ट्र	42
2.	असम	14	16.	मणिपुर	6
3.	बिहार	12	17.	मिजोरम	1
4.	चंडीगढ़	1	18.	नागालैंड	3
5.	छत्तीसगढ़	9	19.	ओडिशा	22
6.	दिल्ली	24	20.	पुडुचेरी	5
7.	गोवा	3	21.	पंजाब	11
8.	गुजरात	39	22.	राजस्थान	20
9.	हरियाणा	20	23.	तमिलनाडु	34
10.	हिमाचल प्रदेश	8	24.	त्रिपुरा	4
11.	झारखंड	10	25.	उत्तर प्रदेश	50
12.	कर्नाटक	33	26.	उत्तराखंड	11
13.	केरल	38	27.	पश्चिम बंगाल	64
14.	मध्य प्रदेश	37		**कुल**	**554**

स्थानीय स्तरीय समिति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय स्तर की समितियां जिला स्तर पर राष्ट्रीय न्यास का प्रतिबिम्ब हैं। यह अर्द्धन्यायिक निकाय विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति करता है। विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता की अवधारणा में आए बदलाव के कारण कानूनी अभिभावकों की भूमिका, कार्य और यहाँ तक कि नामावली में कुछ वैचारिक बदलाव जरूरी हो गए हैं। इन बदलावों के बावजूद एलएलसी, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए निर्णायक व्यवस्था बनी हुई है।

एल.एल.सी. राष्ट्रीय न्यास बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में गठित एक त्रि–कमेटी संस्था है जिसका अध्यक्ष जिला कलैक्टर होता है। हाँलाकि ऐसे उदाहरण भी हैं जब कुछ जिलों के समूहों के लिए एक ही एलएलसी गठित की गई है। ऐसा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है। और ऐसे भी उदाहरण हैं जब किसी जिले में, विशेषकर बड़े जिलों में, एक से अधिक एलएलसी का गठन भी किया गया है। एक एलएलसी का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है परंतु यह नई एलएलसी के गठन तक कार्यरत रह सकती हैं। एलएलसी का दूसरा सदस्य राष्ट्रीय न्यास की किसी पंजीकृत संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यावहारिक रूप से इसके संयोजक के रूप में कार्य करता है। पी.डब्लू.डी. अधिनियम 1995 की धारा 2 की उपधारा (एफ) के अंतर्गत वर्णित विकलांगत व्यक्ति तीसरा सदस्य होता है। जो कमेटी के सामने वास्तविक उदाहरणों की बारीकियां पेश करता है। स्थानीय स्तर समितियों के सदस्यों की सूची हमारी वेबसाइट के एलएलसी पेज पर उपलब्ध है।

- एलएलसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्हें अन्य सदस्यों जैसे जिला कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक प्रतिष्ठित वकील को चुनने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है।

- एलएलसी में उपयुक्त सदस्यों विशेषकर एक पीडब्लूडी सदस्य की नियुक्ति हेतु दिशा–निर्देशों का एक सेट जारी किया गया है।

- एलएलसी के ठीक ढंग से कार्य करने तथा कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति के लिए एक व्यापक मैनुएल तथा हैंडबुक को तैयार किया गया है जिसे हमारी वेबसाइट www.thenationaltrust.in पेज पर LLC पर क्लिक करके देखा जा सकता है।

  http://www.thenationaltrust.co.in/nt/images/stories/Downloads/llc.pdf

- एनडीएलजीसी (NDLGC) या कानूनी संरक्षता प्रमाणपत्र की राष्ट्रीय (ऑन लाइन) डिपॉजिटरी पहले से ही कार्यरत है तथा LLCs को विधिक संरक्षकता प्रमाणपत्र संस्करित/जारी करने के लिए NDLGC मॉड्यूल को प्रयोग करना आवश्यक होगा।

नयी वित्त वितरण प्रणाली राष्ट्रीय न्यास की वेबसाईट www.thenationaltrust.in पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक

राष्ट्रीय न्यास की स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 10 सितम्बर 2014 को आयोजिक की गई जिसमें सहायक विधि सलाहकार, राष्ट्रीय न्यास श्री यू. के. शुक्ल ने सभी गणमान्य नागरिकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। श्रीमती पूनम नटराजन, अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास ने विकलांगता एवं यू.एन.सी.आर.पी.डी. के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय न्यास की चारों विकलांगताओं स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता एवं बहुविकलांगता को दर्शाते हुये कहा कि ये नाम विकलांगता सिर्फ एक लेवल हैं जबकि हमें इंसान और उसकी क्षमताओं को सबसे पहले देखना चाहिए।

प्रत्येक विकलांगताओं में अपार क्षमताएँ भी मौजूद हैं इसीलिये हमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझने की आवश्यकता है।

श्रीमती पूनम नटराजन, अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास दर्शकों को संबोधित करते हुए

इन विकलांगताओं का कोई चिकित्सीय समाधान नहीं है परन्तु सीमित चिकित्सा हस्तक्षेप से लाभ दिया जा सकता है। इन विकलांगताओं से प्रभावित बच्चों के लिये समग्र हस्तक्षेप हेतु फिजियोथैरेपी, ऑक्यूपेशनल थैरेपी, स्पीच थैरेपी एवं विशेष शिक्षा की पूर्ण जानकारी बहुत लाभप्रद हो सकती है। ये भी आवश्यक है कि परिवार जन एवं सामुदायिक सदस्य बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रम में सम्मिलित हों।

बौद्धिक एवं विकासीय विकलांग वयस्कों की जरूरतें जैसे कि कार्य, अवकाश, अर्थपूर्ण सम्बन्ध एवं स्वतंत्र समुदायिक जीवन अन्य वयस्कों से अलग नहीं हैं। उन्हें अपने जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर निर्णय में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है और यू.एन.सी.आर.पी.डी. ने भी विशेष सहायता की जरूरतों को रेखांकित किया है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) इस सदी की प्रथम संधि है जिसे पूर्ण रूप दे दिया गया है।

यह कन्वेंशन इस बात का प्रतिबिंव है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह समझता है कि विकलांगता एक मानव अधिकारों का मुद्दा है और इसके लिये गहरी समझ एवं विशेष कार्यवाही की जरूरत है।

यू.एन.सी.आर.पी.डी. वह विशिष्ट कन्वेंशन है जिसे इस आदर्श वाक्य **"हमारे बिना हमारे बारे में कुछ नहीं"** के साथ बनाया एवं प्रस्तुत किया गया।

श्री वेणुगोपालन द्वारा प्रस्तुति

जब हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक कार्य की बात करते हैं तो हमारे लिये सबसे पहली प्राथमिकता विकलांग व्यक्ति के जीवन से जुड़ी परेशानियॉ होनी चाहिए तभी हम उनके लिये बेहतर कार्य कर सकते है। दूसरी प्राथमिकता सामाजिक कार्यकर्ता की सोच है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की पॉच श्रेणी हैं पहले वे व्यक्ति जो पैसा बनाना चाहते है, दूसरी खुद विकलांग व्यक्ति जो सामाजिक कार्य को अपनाते हैं तीसरे वे जो अपने पद से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं जैसे कि गवर्नर, प्रेसीडेंट इत्यादि। चौथे वे जो धर्म या ईश्वर में विश्वास के कारण सामाजिक कार्य में लग जाते हैं आखिरी पांचवी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें पैसा, नाम, पद या शौहरत का कोई लालच नहीं होता एवं सामाजिक कार्य करना उनके स्वभाव में सम्मिलित होता है।

जब हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि ये हुआ कैसे? और ये किसने इस पर कार्यवाही की? हम भली–भांति जानते हैं कि वर्ष 1999 तक मानसिक विकलांग बच्चे की संरक्षकता के लिये कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बच्चे के लिये जिला न्यायालय उसकी व उसकी सम्पत्ति की देखरेख के लिये संरक्षकता प्रदान करता था जैसे ही वो बच्चा वयस्क हुआ न्यायालय यह मानता था कि वो अब पूर्ण रूप से अपने निर्णय लेने में सक्षम है जबकि इन विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्ति के बारे में यह बात सही नहीं है। इन्हीं परेशानियों के कारणवश अभिभावकों, विकलांगजनों एवं सामाजिक संस्थाओं के आन्दोलन से राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का जन्म हुआ।

श्रीमती रोमा भगत द्वारा कानूनी परिप्रेक्ष्य पर प्रस्तुति

श्रीमती रोमा भगत ने स्थानीय स्तरीय समिति एवं उससे सम्बन्धित कानूनी दृष्टिकोण पर अपनी प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम संरक्षकता के विभिन्न पहलुओं पर बात करता है जैसे कि संरक्षक नियुक्तिता, संरक्षक के कर्तव्य, कौन संरक्षक हो सकता है या फिर संरक्षक को हटाने की कार्यवाही। विकलांग व्यक्ति की सम्पत्ति एवं इससे सम्बन्धित लेन–देन की जानकारी संरक्षक को स्थानीय स्तरीय समिति को देनी होती है। अभिभावकों की समस्या थी कि उनके मरणोपरान्त उनके विकलांग बच्चे का क्या होगा जबकि उन्होने उसके लिये समर्थन प्रणाली का भी प्रावधान कर रखा है। उस सम्पत्ति की देखभाल कौन करेगा यहॉ स्थानीय स्तरीय समिति एक आधार की तरह काम करेगा। स्थानीय स्तरीय समिति की जिम्मेदारी होगी कि समर्थन प्रणाली पर अपनी निरन्तर नजर बनाये रखे।

उन्होने स्थानीय स्तरीय समिति, संरक्षक एवं जिलाधिकारी की सभी जिम्मेदारियों एवं कानूनी अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की।

विधिक संरक्षकता

विकासीय विकलांगता के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत वर्णित कानूनी संरक्षता यूएनसीआरपीडी (UNCRPD) के प्रकाश में बदलाव के दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम अभिभाावकों को यह विकल्प प्रदान करता है कि यदि वे चाहें तो 18 वर्ष के (व्यस्क) होने के उपरांत विकलांग व्यक्तियों के लिए एलएलसी द्वारा कानूनी संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। कानूनी संरक्षक की आवश्यकता विकलांग व्यक्ति की तथा/या उसकी संपत्ति की देखभाल करने के लिए महसूस की जाती है। हालाँकि यह अवधारणा यूएनसीआरपीडी (UNCRPD) के अधिक विकसित कानूनी क्षमता की अवधारणा के प्रकाश में सिमट रही है। गत वर्ष राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में संशोधन के लिए मसौदा बनाते समय कानूनी क्षमता की अवधारणा ने मुख्यमार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी।

मौजूदा कानून के तहत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांग व्यक्तियों की आवासीय देखभाल और/या संपत्ति के प्रबंधन हेतु एलएलसी द्वारा कानूनी संरक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। जहाँ स्थानीय स्तरीय समितियों (LLCs) से कानूनी प्रावधानों तथा अवधारणा के विषय में स्पष्ट रहने की उम्मीद की जाती है वहीं कानूनी संरक्षकों से भी विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों की कानूनी क्षमता की पूर्णतया समझ रख कर अपना दायित्व निभाने की आशा की जाती है। इन अवधारणाओं और मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए वर्ष 2010 में कानूनी संरक्षकता पर एक व्यापक पुस्तिका का विकास किया गया। एलजी प्रमाणपत्रों का दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कानूनी संरक्षता प्रमाणपत्र की राष्ट्रीय (ऑन लाइन) डिपॉजिटरी या एनडीएलजीसी भी वर्ष 2010 में शुरु की गई। स्थानीय स्तर समितियों के कार्यों तथा कानूनी संरक्षकता की अवधारणा पर रैडी रेकनर के रूप में एक दो पृष्ठीय ''At A Glance'' तैयार किया गया।

वर्ष के दौरान हमने अपने सभी पंजीकृत संस्थानों एवं एलएलसी के सदस्यों को एनडीएलजीसी (NDLGC) के विषय में जानकारी देने और इन प्रावधानों का उपयोग करने की दिशा में प्रोत्साहन देने की कवायद जारी रखी। नतीजतन, वर्ष 2010 में अपनी स्थापना होने के बाद से एनडीएलजीसी के प्रयोग में बहुत तेजी से वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2010–11 में 21 आवेदनों से ले कर 2011–12 में 99 आवेदन, 2012–13 में विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र हेतु 424, वर्ष 2013–14 में 1318 एवं वर्ष 2014–2015 में 1121 विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी किये गये।

अक्सर यह देखा गया है कि विकलांग व्यक्तियों के भाई–बहन और कभी–कभी माता–पिता तक इन के संपत्ति अधिकारों के साथ समझौता कर देते हैं।इन संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एलएलसी कोल्लम (केरल) ने स्थानीय संपत्ति पंजीयन रजिस्ट्री कार्यालय के साथ एक व्यवस्था को आरंभ किया जिसके तहत किसी भी विकलांग व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित किसी भी सौदे का पंजीयन करने से पहले एलएलसी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। कानूनी संरक्षकों की नियुक्ति को पूरी सावधानी तथा क्षेत्रीय पूछताछ के बाद ही करने की नीति के साथ मिल कर इस नई व्यवस्था ने अतिलाभदायक परिणामों को जन्म दिया है। इससे संकेत लेते हुए, सभी राज्य सरकारों को विकलांग व्यक्तियों के (संपत्ति) अधिकारों की सुरक्षा हेतु इस नीति का अनुकरण करने की सलाह दी गई।

प्रो. लोतिका सरकार को हार्दिक नमन

प्रख्यात विद्वान एवं नारीवादी प्रो. लोतिका सरकार (1923–2013)

प्रो. लोतिका सरकार – विधि, स्त्री–विमर्श एवं मानव अधिकारों के क्षेत्र की एक प्रख्यात पथप्रदर्षक थी। वर्ष 1975 से 2005 के दौरान स्त्री–पुरुष न्याय एवं महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न अभिनव एवं महत्वपूर्ण विधानों के निर्माण में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, 23 फरवरी, 2013 को 90 वर्ष की आयु में उनका देंहांत हुआ। महिला अधिकार आंदोलन में, वह 'लोतिका दी' के रूप में जानी जाती थीं। वह कानून की पहली महिला शिक्षक थीं और 1980 तथा 1990 के दषकों के दौरान दिल्ली के भारतीय विधि संस्थान (इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट) का आधार स्तंभ थीं।

प्रो. लोतिका सरकार ने राष्ट्रीय न्यास के साथ एक धर्मस्व विलेख पर हस्ताक्षर किए थे। विलेख 18 नवंबर, 2012 को लागू किया गया। इसमें 25 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया जो संग्रह/सावधि जमा के रूप में सुरक्षित है और इसके ब्याज से होने वाली आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है :

1. अर्थक्षम जीविकोपार्जन हेतु कोई उद्यम स्थापित करने के लिए निःशक्त व्यक्तियों की वित्तीय सहायता।

2. गरीबी रेखा से नीचे के निःशक्त व्यक्तियों अथवा सहायता के विशेष जरूरतमंदों को सहायता–प्राप्त जीवन के लिए वित्तीय सहायता।

3. अनुदानों, ऋणों के जरिए अथवा किसी अन्य रूप में संबद्ध प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों की वित्तीय सहायता।

प्रकाशन एवं जागरूकता कार्यक्रम की रिपोर्ट

विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस समारोह

राष्ट्रीय न्यास द्वारा विश्व स्वपरायणता जागरूकता दिवस समारोह मनाया गया जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य स्वपरायणता से प्रभावित बच्चों और वयस्कों का सुधारना है जिससे वे भरपूर और परिपूर्ण जीवन जी सकें। इस परिप्रेक्ष्य में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में स्वपरायणता से सम्बन्धित एक विज्ञापन भी प्रकाशित करवाया गया। जिसमें इसके लक्षणों एवं अभिभावकों के लिए सलाह थी। जिसके बाद राष्ट्रीय न्यास द्वारा कई प्रश्नों का हल बताया गया। दिल्ली दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर एक समूह चर्चा का आयोजन भी किया गया जिसमें राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने रिसोर्स परसन के रूप में प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर दिनांक– 17.04.2014 को एम्स के सभागार में ''स्वलीन बच्चों एवं उनके परिवारों का सशक्तीकरण'' विषय पर आयोजित कार्यशाला में राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रतिभाग भी किया गया तथा राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षा द्वारा ''विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं उनके परिवारों को समर्थन एवं सहायता में राष्ट्रीय न्यास की भूमिका विषय'' पर व्याख्यान भी दिया गया।

स्वलीन ग्रहः– राष्ट्रीय न्यास की सहायता से एक्शन फार आटिज्म संस्था द्वारा एक कला प्रदर्शनी का आयोजन और पाम कोर्ट गैलरी, इण्डिया हेविटेट केन्द्र परिसर में दिनांक– 29–30 मार्च 2014 को किया गया। इस प्रदर्शनी में पुरे देश से आये स्वपरायणता से प्रभावित बच्चों/व्यक्तियों ने प्रतिभाग लिया तथा उनके द्वारा बनायी गयी कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया।

राहगीरी दिवस दिनांक–22 मार्च 2015

राष्ट्रीय न्यास द्वारा राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र दिल्ली– मुस्कान, एक्सन फॉर ऑटिज्म एवं आशीष केन्द्र आदि के सहयोग से विश्व डाउन सिन्ड्रोम दिवस एवं विश्व स्वलीनता दिवस के प्रेक्षण के लिए दिनांक– 22 मार्च 2015 को ई0 ब्लॉक, इनर सर्किल, कनॉट प्लेस, दिल्ली में राहगीर दिवस का आयोजन किया गया। जिसके दौरान स्वलीनता एवं डाउन सिन्ड्रोम से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रदर्शन किया गया। स्वलीनता एवं डाउन सिन्ड्रोम की शीघ्र पहचान से सम्बन्धित पर्चों का भी वितरण किया गया। इनर सर्किल कनॉट प्लेस में प्रतिभागियों द्वारा दोस्ती भ्रमण का भी आयोजन किया गया।

मुस्कान, दिल्ली के छात्रों द्वारा अभिनय

राष्ट्रीय न्यास के सिग्नेचर सॉग की लय पर राष्ट्रीय न्यास के कर्मचारियों, अधिकारियों संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ, सचिव विकलांग सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार ने भी प्रतिभाग किया। मुस्कान, एक्शन फॉर ऑटिज्म एवं अन्य संस्थाओं के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

आवागमन प्रवेश अनुभाग/एक्शनों पर जागरूकता

दिनांक– 31 मार्च 2015 को दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 100 यातायात संकेतों पर डाउन सिन्ड्रोम एवं स्वपरायणताजन जागरूकता कार्यक्रम किये गये।

यह राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, मुस्कान, एक्शन फार ऑटिज्म, दीपालय, आशीष (एन0जी0ओ0) कुछ स्वैच्छिक संगठनों, न्यू ग्लोबल विजन सोसाइटी एवं दिल्ली (एन0सी0आर0) के वालेनटीयर का मिलाजुला सहयोगात्मक प्रयास था।

विकलांग व्यक्तियों व उनके माता–पिता व वालेन्टीयर को प्रेरित करने व प्रोत्साहित करने के लिए श्री लव वर्मा सचिव विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने श्री सी0 के0 खेतान के साथ मिलकर ऊपर वर्णित दोनों कैम्पेन (अभियान) में हिस्सा लिया।

दिल्ली/एन.सी.आर. के आवागमन संकेत केन्द्रों पर जागरूकता अभियान

प्रकाशन:

ENABLING/सामर्थ्यता पत्रिका का माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा विमोचन

श्री सुदर्शन भगत, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में दिनांक– 10.09.14 को स्पंदन पुरस्कार समारोह के दौरान राष्ट्रीय न्यास की द्विभाषीय मासिक पत्रिका Enabling/सामर्थ्यता का विमोचन किया गया। सन्दर्भ के लिए पत्रिका की एक प्रति संलग्न है।

कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन

SKOCH शिखर सम्मेलन

36 वें SKOCH शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 जून 2014 को इण्डिया हेविटेट सेन्टर, नई दिल्ली में किया गया। इसमें विकलांग व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन पर एक अधिवेशन का भी आयोजन किया गया। यह अधिवेशन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित पोषित था। इसमें समूचे भारत से विकलांग व्यक्तियों के साथ लगभग 30 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

स्वच्छ भारत अभियान

राष्ट्रीय न्यास कार्यालय परिसर में भी 'साफ–सफाई के लिए' राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत गतिविधियों को प्रारम्भ किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्षा एवं संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिनांक–02/10/14 को प्रातः 11:30 पर शपथ ली।

एक सफाई रैली का आयेाजन राष्ट्रीय न्यास के कार्यालय के निकट बड़ा बाजार रोड, पुराना राजिन्दर नगर में किया गया, राष्ट्रीय न्यास के अधिकारियों, कर्मचारियों स्वययंसेवियों के द्वारा पूरी सड़क को साफ किया गया तथा कचरे को इकट्ठा कर रिक्शे के माध्यम से कूड़ा घर में पहुँचाया गया। लोगों और दुकानदारों को स्वच्छता के बारे में अवगत कराया गया एवं उनसे कूड़ा सड़कों पर न फेकने के लिए अनुरोध करते हुये बड़ा कूड़दान दुकानों के बाहर रखने के लिए भी अनुरोध किया गया। रिक्शेवालों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे पान–मसाला आदि के पाउच को सड़को पर न फेंके। पान की दुकानों पर खड़े व्यक्तियों से अनुरोध किया गया कि वे सड़कों और दीवारों पर न थूके तथा सिगरेट आदि के अवशेषों को सड़कों पर न फेंके। चाय की दुकान पर खड़े लोगों से अनुरोध किया गया कि वे प्रयोग किये गये प्लास्टिक के गिलास एवं थर्माकोल के ग्लास को सड़कों पर न फेंके। रस्तरों के मालिकों को खाना खाने की जगह को स्वच्छ रखने के लिए अनुरोध किया गया।

एन.डी.एम.सी. में ''स्वच्छ भारत अभियान'' के तहत साफ–सफाई पर आयोजित कार्यशाला

राष्ट्रीय न्यास द्वारा दिनांक– 12 अक्टूबर 2014 को शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता एवं साफ–सफाई विषय पर एक कार्यशाला का अयोजन किया गया, जिसमें डा0 पी0 के0 शर्मा, चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य, नई दिल्ली, नगर निगम एवं श्री बी0एल0यादव, मुख्य प्रबन्धक, राष्ट्रीय सफाई कर्मी वित विकास निगम रिसोर्स परसन के रूप में आमन्त्रित थें, उन्होंने स्वच्छता एवं साफ–सफाई विषय पर व्याख्यान दिया।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (सी0एस0आर0)

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार विजन फाउण्डेशन दिल्ली, एवं पंण्डित दीन दयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान के सहयोग से लिकिंग कारपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी विषय पर एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक– 30–31 अक्टूबर 2014 को इण्डिया हेविटेट सेन्टर दिल्ली में किया गया। अध्यक्षा राष्ट्रीय न्यास द्वारा वयस्क विकलांग व्यक्तियों के एसिस्टिव लिविंग विषय पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं कारपोरेट सेक्टर से वित्तीय सहायता की मांग की गयी।

ज्ञान कार्यशाला

ज्ञान कार्यशाला का आयोजन वार्षिक गतिविधि के रूप में दिनांक– 12 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली नगर निगम के सभागार में किया गया, जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें, परिवहन एण्ड एक्सेसिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी आदि से विभिन्न विशेषज्ञों को रिसोर्स परसन के रूप में आमन्त्रित किया गया था।

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने सभी प्रतिभागियों का 7 वीं ज्ञान कार्यशाला में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान शक्ति है और हमारी इच्छा विकलांग व्यक्तियों के पूरे समाज को सशक्त बनाना है।

एन.डी.एम.सी. कन्वेशन हॉल में आयोजित ज्ञान कार्यशाला

अध्यक्षा राष्ट्रीय न्यास द्वारा यह अवगत कराया गया कि ज्ञान कार्यशाला, राष्ट्रीय न्यास का एक हिस्सा बन गयी है और उन्होंने समुदाय से और अधिक प्रतिभाग पर जोर दिया। श्रीमती किरण पुरी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ने अभिभावकों, समुदाय एवं विकासात्मक एवं बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों के परिवारों के आपसी सहयोग के महत्व का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से वे जीवन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। डा0 निमेश जी0 देशाई, निदेशक, IHBAS एवं श्री विशान्क कपूर, वास्तुविद ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति समाज का दृष्टिकोण, देखभाल कर्ताओं के रवैया एवं बड़े संस्थानों को सहायक इकाईयों में परिवर्तित करने पर जोर देने को कहा। अन्य प्रस्तुतियों में डॉ0 उदय सिन्हा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, नैदानिक मनोविज्ञान ने विकलांग व्यक्तियों विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता एवं चुनौतियों के विषय में चर्चा की। सुश्री मधुमति बोस ने शीघ्र हस्तक्षेप के महत्व पर विचार–विमर्श किया। श्री के0के0सवरवाल, निदेशक वित विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित सुविधाओं के सम्बन्ध में दिल्ली मेट्रों की उपलब्धियों को साझा किया। श्री अतुल त्रिवेदी, प्रमुख, कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा कार्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही सी0एस0आर0 एवं स्थिरता के अन्तर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं में– शौचालय, पेयजल, सामुदायिक केन्द्र एवं सोलर लाइट आदि गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला।

सुश्री विदुशी चतुर्वेदी, निदेशक, शिक्षा, नई दिल्ली नगर निगम, ने मानसिक मन्दता वाले व्यक्तियों कि मुख्य धारा के विषय में चर्चा की।

मध्यान्ह भोजन के बाद का सत्र श्री आर0के0 नायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, के द्वारा आरम्भ किया गया, उन्होंने सामर्थ योजना की स्थिरता के लिए सी0एस0आर0 एवं भागीदारी पर चर्चा की।

श्री पी0सी0 दास, मुख्य प्रबन्ध निदेशक एन0एच0एफ0डी0सी0 द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण स्वरोजगार के लिए, माइक्रो क्रेडिट योजना एवं उच्च शिक्षा हेतु ऋण आदि के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण में एन0एच0एफ0डी0सी0 की भूमिका पर चर्चा की गयी। उनके द्वारा अम्बाला में आयोजित किये गये फेयर का भी उल्लेख किया गया जिसमें 900 व्यक्तियों ने कौशल विकास के प्रति अपनी अभिरूचि व्यक्त की। डा0 नवलपन्त, निदेशक पायसम ने ECHO पुनर्वास कर्मियों की शिक्षण में एक नवीन अर्न्तदृष्टि के विषय में चर्चा की। सुश्री अरोड़ा, आई0सी0आई0सी0आई, लुम्बार्ड द्वारा राष्ट्रीय न्यास की निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। सभी प्रस्तुतिकरण की जानकारी कार्यालय की वेबसाईट के download सेक्शन में उपलब्ध है

समग्र जागरूकता शिविर

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किये गये विभिन्न समग्र जागरूकता शिविरों में, राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रतिभाग किया गया जिनका विवरण निम्नवत है–

समग्र जागरूकता शिविर– विशुनपुर एवं राँची

राष्ट्रीय न्यास की झारखण्ड में राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र –दीपशिखा द्वारा दिनांक–30 एवं 31 अगस्त को क्रमशः रॉची एवं विशुनपुर (गुमला) में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के शीर्ष संगठनों द्वारा आयोजित समग्र जागरूकता शिविर में प्रतिभाग किया गया।

शिविर के दौरान पम्पलेट्स आदि के वितरण द्वारा राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी। साथ ही विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया।

मेगा समग्र जागरूकता शिविर– कैचोर, वर्धवान, पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय विकलांग वित विकास निगम द्वारा दिनांक– 22 सितम्बर 2014 को वर्धवान, पश्चिम बंगाल में आयोजित मेगा समग्र जागरूकता शिविर में जिसमें मंत्रालय के अन्य शीर्ष संगठनों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया राष्ट्रीय न्यास ने प्रतिभाग किया।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय न्यास की राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र एवं अन्य पंजीकृत संस्थाओं ने शिविर में प्रतिभाग किया। शिविर में अभिभूत प्रतिक्रिया मिली और 8 हजार लोगों ने शिविर में प्रतिभाग किया।

समग्र जागरूकता शिविर– फर्रूखाबाद एवं लखीमपुर खीरी (उ0प्र0)

चेतना, राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र उ0प्र0 ने दोनों समग्र जागरूकता कार्यक्रमों में फर्रूखाबाद एवं लखीमपुर खीरी में क्रमशः दिनांक– 12.01.2015 एवं 27.01.2015 को प्रतिभाग किया। चेतना संस्थान एवं जीवनपथ रायबरेली, तथाै। फर्रूखाबाद के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये।

समग्र जागरूकता शिविर फरीदाबाद

समग्र जागरूकता शिविर फरीदाबाद दिनांक– 01.02.15 में राष्ट्रीय न्यास की ओर से विकलांग सहारा समिति ने प्रतिभाग किया एवं राष्ट्रीय न्यास एवं राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के विषय में जानकारी दी।

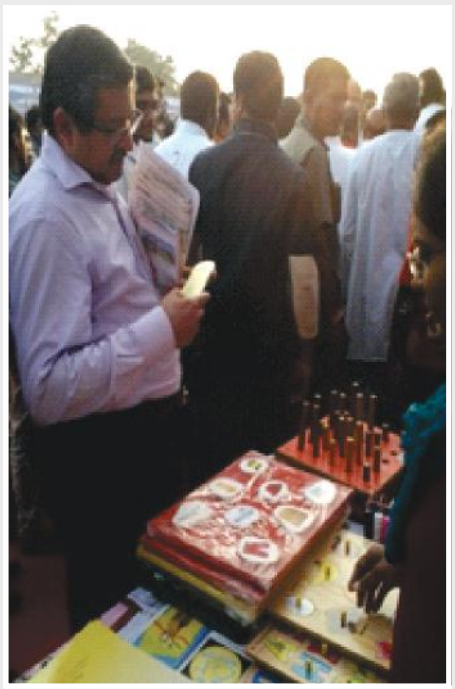

श्री लव वर्मा, सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग समग्र जागरूकता शिविर के दौरान

समग्र जागरूकता शिविर– विशाखापट्टनम, विजयनगरम एवं अनकपल्ली आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना

स्वयंक्रुशी, राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र, आन्ध्रप्रदेश एवं तेलांगाना द्वारा राष्ट्रीय न्यास की ओर से सभी तीनों शिविरों में प्रतिभाग किया गया जो विशाखापटनम, विजयनगरम में क्रमशः 13.02.2015 एवं अनकपल्ली में दिनांक 14.02.2015 को आयोजित किये गये थे। शिविर के दौरान राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों एवं योजनाओं से सम्बन्धित पोस्टर तथा प्रचार सामग्री की स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी भी लगाई गयी थी।

जिला लोकल लेवल कमेटी राज्य नोडल एजेन्सी केन्द्र, स्थानीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों जो बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, द्वारा भी शिविरों में प्रतिभाग किया गया।

शिल्पोत्सव 2014

शिल्पोत्सव 2014 का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठित मेले के रूप में दिनांक 01 नवम्बर 2014 से 10 नवम्बर 2014 तक दिल्ली हाट परिसर में किया गया। इस

वार्षिक उत्सव का उद्देश्य पारम्परिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और देश में कलाकारों की दुर्दशा पर केन्द्रित था और उनकी कला एवं शिल्प का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करना था। महोत्सव में प्रदर्शित उत्पादों की रेंज में, सिल्क साड़ी, कश्मीरी शॉल एवं स्टोल, हस्तनिर्मित कढ़ाई, विशेष रूप से तैयार किये गये बास एवं बेंत के उत्पाद, लकड़ी शिल्प, लकड़ी के खिलौने एवं ब्लॉक चित्र आदि सम्मिलित थे।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा इस मेले में प्रतिभाग किया गया एवं राष्ट्रीय न्यास की 18 पंजीकृत संस्थाओं को 20 स्टॉल आवंटित किये गये थे जिनके माध्यम से उन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हुये उत्पादों की बिक्री की। विकलांग सहारा समिति, मंगोलपुरी की सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठन का पुरस्कार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया गया।

आँचल चिल्ड्रन स्कूल एवं मचान ग्रुप के कलाकारों के सहयोग से राष्ट्रीय न्यास द्वारा दिनांक 5 एवं 7 नवम्बर 2014 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई0आई0टी0एफ0), दिल्ली एवं सिलीगुड़ी

आई0आई0टी0एफ0 दिल्ली– राष्ट्रीय न्यास ने 34 वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली में दिनांक– 14 से 27 नवम्बर 2014 तक भाग लिया। राष्ट्रीय न्यास द्वारा 10 पंजीकृत संस्थाओं को 8 स्टॉल आवंटित किये गये थे जिनके माध्यम से उन्होंने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया एवं बिक्री की।

आई0आई0टी0एफ0 सिलीगुड़ी

पंजीकृत संस्था ''विकलांगो के लिए उत्तरी बंगाल परिषद '' द्वारा राष्ट्रीय न्यास ने भारत व्यापार समर्थक एवं उत्तरी बंगाल विकास विभाग (NBDD) द्वारा आयोजित छठवें पूर्वी हिमालयन एक्सपो कंचनजंघा स्टेडियम, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल दिनांक– 7 से 15 दिसम्बर 2014 में भी प्रतिभाग किया।

सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

सूरजकुण्ड अन्तर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन, सूरजकुण्ड मेला प्राधिकरण, पर्यटन मंत्रालय, कपड़ा संस्कृति, विदेश मंत्रालय, पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार एवं हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ हथकरघा एवं हस्तशिल्प के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। एथिनिक रंगों में भिगो कर तैयार किये गये हस्तनिर्मित वस्त्रों के प्रदर्शन ने सभी आगन्तुकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया।

राष्ट्रीय न्यास ने मेले में दिनांक– 01 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2015 तक प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय न्यास द्वारा 6 पंजीकृत संस्थाओं को 6 स्टॉल आवंटित किये गये थे जिसमें उनके उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री किया गया।

प्रभाव मूल्यांकन

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं का मूल्यांकन प्रभाव

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) कामर्स एवं इण्डस्ट्री मंत्रालय, भारत सरकार के अग्रित एवं स्वायत्वशासी संगठन है जिसने इसकी विभिन्न योजनाओं व गतिविधियों के प्रभाव का मूल्यांकन सेवा प्रदान करने में सुधार को ध्यान में रखकर किया जोकि निम्नलिखित उद्देश्यों पर आधारित था :

- लक्ष्यों / समूह / लाभार्थी उपलब्धियां प्रत्येक योजना / कार्यक्रम और राष्ट्रीय न्यास की क्रियायें तथा उन उपायों व लाभ व कमी को पहचानना, उन कारणों व कारकों की पहचान करना जो नाम में कमी के लिए उत्तरदायी है और ऐसे उपायों को सुझाना जोकि इस स्थिति से निबटारा कर सके साथ ही योजना की परफार्मेंस को सुधार सके।
- विभिन्न स्तरों पर लागू करने वाली एजेन्सी की भूमिका का परीक्षण सुधार के सुझावों के साथ करना।
- राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने वाली ऐजेन्सी की परफार्मेंस का मूल्यांकन करना।
- उन क्षेत्रों को बताना जहां सुधार/परिमार्जन की आवश्यकता है और साथ ही जिन योजनाओं को सतत चलाने/ऊपर उठाने की आवश्यकता है।

वह अध्ययन दो प्रमुख/बड़े वर्गों में किया गया।

पहले वर्ग के अध्ययन में विस्तार से विश्लेषणात्मक अध्ययन आंकड़ों के द्वितीय स्रोत एवं वे सूचनायें जो राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों से संबंधित थी जिनकों निबंधित संगठनों (पंजीकृत संगठन) के द्वारा पूरे भारत में चलाया जा रहा है प्रकाशित/गैरप्रकाशित हो इसको अध्ययन किया गया।

दूसरी वर्ग में प्रत्येक स्कीम (योजना) व कार्यक्रमों में संम्बन्धित प्रश्नावली के द्वारा क्षेत्र स्तरीय खोजबीन व अध्ययन शामिल था। यह प्रश्नावली राष्ट्रीय न्यास के साथ बातचीत द्वारा तैयार की गई थी। वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण से पूर्व प्रश्नावली को एक पायलट सर्वेक्षण (सर्वे) के द्वारा परखा गया और तब अंतिम रूप दिया गया। NPC की अध्ययन टीम ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों आदि का क्षेत्र सर्वेक्षण किया जो प्रमुख खोज व सुझाव / NPC अध्ययन टीम को मिल योजनाओं, कार्यक्रमों व गतिविधियों के तहत अधोलिखित है।

''राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन'' के अध्ययन के फलस्वरूप राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं, कार्यक्रम व गतिविधियों को लागू करने संबंधी विभिन्न मुद्दे उठाये गये हालांकि इन योजनाओं इत्यादि का विकलांगजनों के उत्थान में काफी योगदान है फिर भी इनमें त्वरित सुधार की आवश्यकता है। यह भी पाया गया कि इन योजनाओं को लागू करने में काफी अनियमितता बरती गयी है।

एक सबसे प्रमुख क्षेत्र जिसकी अनदेखी की गई है वो है राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं को प्रभावकारी बनाने में सही दिशा–निर्देशों की उपलब्धता का कमी जिसमें फंडस, निरीक्षण, रजिस्टर्ड संगठनों की क्रियाओं का मूल्यांकन व नियमित सहयोग शामिल है।

ऊपर किये गये खोजों के निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय न्यास की सभी योजनाओं, कार्यक्रमों व गतिविधियों के सुविस्तारित गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है।

एस. के. तोसरीफ

एस. के. तोसरीफ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का रहनेवाला नवयुवक है, जो मानसिक मंदता व डाउन सिंड्रॉम से प्रभावित है। उसके परिवार की मासिक आय सिर्फ रू0 2500/– थी, जिसके कारण परिवार तोसरीफ की देखभाल ठीक से नहीं कर पाता था। उसे रामपुरहाट स्पास्टिक व विकलांग समिति, जो राष्ट्रीय न्यास का समर्थ सेंटर चलाता है, में वर्ष 2007 में दाखिल किया गया। जब वह भर्ती हुआ तो उसकी स्थिति यह थी कि किसी काम में उसका मन नहीं लग पाता था। समर्थ सेंटर में उसक दैनन्दिनी सम्पन्न करने व स्वरोजगार के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। उसने बहुत जल्दी सब कुछ सीखा। अब वह न केवल अपनी दिनचर्या ठीक से सम्पन्न करता है बल्कि स्वावलम्बी भी हो गया है। वह सिलाई के काम में हाथ बॅटाता है, लिफाफे बनाता है व स्ट्रॉ भी बना लेता है। जब भी संगीत बजता है वह थिरकने लगता है। उसका पूरा जीवन ही बदल गया है।

स्पंदन

स्पंदन (नेशनल ट्रस्ट विकलांग, गतिविधियों और नेटवर्किंग में विशेष प्रदर्शन पुरस्कार) पुरस्कार

स्पंदन पुरस्कार एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में पूर्वाह्न में 10 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय न्यास द्वारा आयोजित किए गए। संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अजय कुमार लाल ने मुख्य अतिथि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत का स्वागत किया। श्रीमती स्तुति कक्कड़, सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भी इस अवसर पर शोभा बढ़ाई। अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास ने हितधारकों को संबोधित किया और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।

माननीय राज्य मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत (व्यावसायिक, माता–पिता और देखभालकर्ताओं), राष्ट्रीय न्यास के तहत और सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट के लिए व पंजीकृत सर्वश्रेष्ठ संगठनों को पुरस्कार दिया।

उप निदेशक (प्रशा0), राष्ट्रीय न्यास द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

दर्शक दीर्घा

पुरस्कार वितरण समारोह

स्पंदन समारोह की झलकियाँ

14 वीं साधारण वार्षिक बैठक

साधारण वार्षिक बैठक एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में 11/9/2014 पर आयोजित की गई। श्री यू के शुक्ला, सहायक विधि सलाहकार, राष्ट्रीय न्यास ने सभी हितधारकों, बोर्ड के सदस्यों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। इसके बाद वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण हुआ। श्री यू के शुक्ला ने संस्था के पंजीकरण, स्थानीय स्तर समिति और नए वित्त पोषण पैटर्न एवं कानूनी संरक्षकता पर प्रदर्शन दिया। श्री पंकज श्रीवास्तव, कार्यालय सहायक ने नए वित्त पोषण प्रणाली, कानूनी संरक्षण के लिए एन.डी.एल.जी.सी. मॉड्यूल का उपयोग करने और पंजीकरण के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया।

श्री एस.के. मोहंती, उप निदेशक (कार्यक्रम) ने पैन इंडिया जागरूकता बढ़ते कदम कार्यक्रम 2013 पर प्रस्तुतिकरण किया। श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी ने घरौंदा, समर्थ आवासीय देखभाल योजना, निरामय योजना, एस्पिरेशन योजना और शीघ्र हस्तक्षेप प्रशिक्षण कार्यक्रम, सहयोगी, दिल्ली पायलट परियोजना, राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC), ज्ञान प्रभा (छात्रवृत्ति योजना), उद्यम प्रभा और डाउन सिंड्रोम कार्यशाला पर प्रस्तुति दी।

उपरोक्त के अलावा श्री पंकज मारू, स्नेह नागदा (मध्य प्रदेश) के संस्थापक व राष्ट्रीय न्यास के समन्वयक ने निरामया में ऑनलाइन सिस्टम को कैसे करना है की जानकारी दी। श्री आर वेणुगोपालन, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय न्यास एवं केरल राज्य के समन्वयक ने कानुनी संरक्षकता के लिए किये गए मुआयना एवं कानुनी संरक्षक की नियुक्ति का अनुभव सभी के साथ साझा किया। अपने मोडेल का मुआइना (फील्ड वीसैट) तथा कानूनी सरंक्षक की नियुक्ति का अनुभव जो कि कोललाम जिले मे अपनाया गया, सभी से साझा किया। उनके इस कार्यक्रमको कोलम मोडेल के रूप मे बताया गया तथा पूरा केरल राज्य अब इस मॉडल को दोहरा रहा है।

श्री नवनीत कुमार, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हो गई।

दीप प्रज्जवलन– 14वी वार्षिक आम बैठक

वार्षिक आम बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम

राष्ट्रीय न्यास सूचना का अधिकार कानून 1995 के विभिन्न प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अनुरूप अपील प्राधिकारी एवं लोक सूचना पदाधिकारी का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

अपील प्राधिकारी

श्री सी. के. खेतान (भा.प्र.से.)
संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी
राष्ट्रीय न्यास
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता
एवं बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग
पुराना राजेंद्र नगर नई दिल्ली–110060
दूरभाष : 011–43187801
ईमेल आई.डी. – js_ceo_nt@thenationaltrust.in

कोई अपील प्राप्त नहीं हुई ।

लोक सूचना पदाधिकारी

श्री यू. के. शुक्ल
सहायक विधि सलाहकार
राष्ट्रीय न्यास
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता
एवं बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग
पुराना राजेंद्र नगर नई दिल्ली–110060
दूरभाष : 011–43187804
ईमेल आइडी – ala@thenationaltrust.in

इस वर्ष 31 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका उत्तर निर्धारित समय के भीतर दे दिया गया।

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलना पत्र

(सभी आंकडे रूपयो में)

समग्र/पूंजीगत विधि तथा देनदारियां	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
समग्र निधि	1	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
पूँजीगत निधि/आरक्षित	1	24,19,13,451.00	23,74,19,200.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	0.00	0.00
निर्धारित स्थायी निधियां	3	33,99,969.00	33,99,969.00
संरक्षित ऋण एवं उधारी	4	0.00	0.00
आसंरक्षित ऋण एवं उधारी	5	0.00	0.00
आस्थगित ऋण एवं उधारी	6	0.00	0.00
चालू देयताएं और प्रावधान	7	44,48,230.00	33,94,626.00
कुल		**1,24,97,61,650.00**	**1,24,42,13,795.00**
सम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8	26,56,454.00	20,63,382.00
समग्र निधि से निवेश	9	1,00,00,00,000.00	1,00,00,00,000.00
निवेश अन्य	10	16,00,00,000.00	16,00,00,000.00
वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	8,71,05,196.00	8,21,50,413.00
विविध व्यय		0.00	0.00
(बट्टा खाते में या समायोजित नहीं की गई सीमांतक)			
कुल		**1,24,97,61,650.00**	**1,24,42,13,795.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों में टिप्पणियां	25		

अन्य सूचनाओं एवं तालिकाओं संबन्धित ज्ञान हेतु कृपया हमारी वैबसाइट **"www.thenationaltrust.in"** को देखें

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(सभी आंकडे रूपयो में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री और सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान/अर्थ सहायता/स्पॉन्सरषिप (प्रायोजन)	13	0.00	0.00
फीस/अभिदान	14	84,70,343.00	62,60,857.00
पूंजी निवेष से आय (आर0बी0आई बॉन्डों (ऋणपत्र) में निवेश पर आय)	15	6,24,00,000.00	6,24,00,000.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	17	3,93,20,980.00	3,98,33,414.00
अन्य आय	18	7,17,825.00	8,38,120.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19	0.00	0.00
कुल		**11,09,09,148.00**	**10,93,32,391.00**
व्यय	-		
स्थापना व्यय	20	1,68,35,360.00	1,59,65,581.00
प्रशासनिक खर्च आदि	21	1,56,31,553.00	1,70,25,180.00
अनुदान, आर्थिक सहायता पर व्यय	22	7,34,75,464.00	6,83,40,971.00
ब्याज आदि	23	0.00	0.00
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्श की समाप्ति पर कुल जोड़)	8	4,72,520.00	3,94,726.00
कुल		**10,64,14,897.00**	**10,17,26,458.00**
बकाया आय की व्यय पर अधिकता		**44,94,251.00**	**76,05,933.00**
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		0.00	0.00
सामान्य रिजर्व/पूंजी रिजर्व में स्थानांतरण		**44,94,251.00**	**76,05,933.00**
पूंजी निधि/पूंजी रिजर्व के लिए संपत्ति की लागत का शेष			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों में टिप्पणियां	25		

अन्य सूचनाओं एवं तालिकाओं संबन्धित ज्ञान हेतु कृपया हमारी वैबसाइट **"www.thenationaltrust.in"** को देखें

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान का लेखा जोखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	(Rs.)	(Rs.)	I. भुगतान	(Rs.)	(Rs.)
I. अथ शेष			a) स्थापना खर्च (तालिका 20) {रु. 1,68,35,360/- **घटायें:** D.C.R.G. के लिए प्रावधान रु. 6,43,884/-}	**1,61,91,476.00**	1,54,07,009.00
क) हाथ में रोकड़	**0.00**	0.00	b) प्राशासनिक व्यय (तालिका 21)	**1,56,31,553.00**	1,70,25,180.00
ख) बैंक शेष					
i) चालू खातों में	**0.00**	0.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये राशि के एवज में भुगतान**		
ii) जमा खातों में	**53071115.00**	4,46,49,046.00	a) योजनाओं के क्रियान्व के लिए अनुदान (तालिका 22)	**7,34,75,464.00**	6,83,40,971.00
II.प्राप्त अनुदान			b) डॉक्टर लोटिका सरकार निधि	**0.00**	2,32,000.00
a) भारत सरकार से	**0.00**	0.00	**III. निवेश एवं जमा राशि**		
b) राज्य सरकार से	**0.00**	0.00	a) आर बी आई बॉन्ड में निवेश	**0.00**	0.00
c) डॉक्टर लोतिका सरकार निधि	**0.00**	3,32,000.00	b) अन्य निवेश (बैंक सावधि जमा)	**40,00,00,000.00**	12,00,00,000.00
			IV. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय और चल रही कार्य पूंजी		

			a) परिसंपत्तियां खरीदने के लिए	**10,78,762.00**	9,32,055.00
III. निवेश पर आय			**V. अधिशेष धन/ कर्ज़ की वापसी**		
a) आर बी आई बॉन्ड पर ब्याज	**6,24,00,000.00**	6,24,00,000.00	a) भारत सरकार का	**0.00**	0.00
b) अन्य निवेश से फलेक्सी डिपोजिट (जमा उपर्जित ब्याज का अथ शेष. रु 2,18,59,296/-					
घटायेः उपर्जित ब्याज का अंत शेष. रु 3,33,16,824/-)	**2,51,50,247.00**	3,60,55,880.00	b) राज्य सरकार का	**0.00**	0.00
IV. प्राप्त ब्याज			c) अन्य निधि संपर्को का	**0.00**	0.00
a) बैंक बचत पर (बचत बैंक)	**27,13,205.00**	39,71,931.00			
V. अन्य प्राप्तियाँ/ आय			**VI. वित्त प्रभार**		
a) निरमाया शुल्क	**81,21,043.00**	59,60,756.00	(तालिका 23)	**0.00**	**0.00**
b) दान	**6,93,819.00**	6,88,766.00			
c) ग्रह अग्रिम पर ब्याज	**81,124.00**	54,000.00	**VII. अन्य भुगतान**		
d) पंजीकरण शुल्क	**3,49,300.00**	3,00,101.00	**1** अन्य कार्यालयों को दी गयी रकम की वूसली		
e) आर.टी.आई.शुल्क	**166.00**	150.00	a) पिकुप (लखनऊ)	**1,20,000.00**	1,20,000.00
f) सम्पत्तियों का निस्तारण	**13,170.00**	0.00	b) जीवन बीमा निगम	**27,540.00**	27,540.00
g) अन्य प्राप्तियाँ	**23,840.00**	10,480.00	c) नई पेंशन योजना	**8,21,043.00**	7,27,926.00
VI. उधार ली गयी राशी	0.00	0.00	d) एफ.ए. एंड सी.ए.ओ. (रेलवे)	**2,55,582.00**	3,22,107.00
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ			e) R.C.A.O.E.C.T. & C. रेल मंत्राालय	**46,341.00**	51,103.00
a) आर. बी. आई बॉन्ड 8 प्रतिशत	0.00	0.00			
b) निवेश भुनाना	**40,00,00,000.00**	12,00,00,000.00			

VIII. अन्य कार्यलयों से संबन्धित वसूली राशि का प्रेषणः			2. अन्य भुगतानः		
a) अग्रीमों का समायोजन (Firms /Orgs.)			a) विभिन्न अग्रिम (Firms/ orgs.) :		
1) विश्व युवक केंद्र रु. 1,45,582/-			1) विश्व युवक केंद्र रु. 35,000/-		
2) सिविल सर्विसेस अफीसर्स इंस्टीट्यूट रु. 5,057/-			2) अशोक टूर एवं ट्रैवल रु. 91,805/-		
3) अशोक टूर एवं ट्रैवल रु. 82,250/-			3) नेशनल यूथ हॉस्टल रु. 1,17,147/-		
4) नेशनल यूथ हॉस्टल रु. 1,17,147/-			4) M/s N.I.C.S.I. (संचार मंत्रालय) रु. 42,55,972/-		
5) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रु. 5,00,000/-	**14,20,540.00**	30,64,926.00	5) स्नेह (नागदा) रु. 5,000/-	**45,04,924.00**	32,52,615.00
6) क्रेडिबिलिटी अल्लियन्स रु. 30,000/-					
7) अरूनिम रु. 3,85,504/-					
8) स्नेह (नागदा) रु. 5,000/-					
9) फैशन शो हेतु अग्रिम रु. 1,50,000/-					
b) एफ.ए. एंड सीएओ (रेलवे)	**2,55,582.00**	322107	b) समय पार चेक	**0.00**	1,500.00
c) R.C.A.O.E.C.T.C. रेल मंत्रालय	**46,341.00**	51103	c) डाक हेतु अग्रिम	**29,480.00**	4,446.00
d) पिकुप (लखनऊद्ध	**1,20,000.00**	1,20,000.00	d) चिकित्सा अग्रिम	**8,000.00**	0.00
e) जीवन बीमा निगम	**27,540.00**	27,540.00	e) आकस्मिक अग्रिम	**4,16,025.00**	7,20,996.00
f) नई पेंशन योजना	**8,21,043.00**	7,27,926.00	f) यात्रा अग्रिम	**2,79,000.00**	1,76,500.00
g) N.C.P.C.R. से भुगतान	**1,26,594.00**	1,42,828.00	g) एल.टी.सी. (अग्रिम)	**1,00,110.00**	1,33,000.00

h) शहरी विकास मंत्रालय	**13,942.00**	0.00	h) त्योहार अग्रिम	**27,000.00**	15,000.00
IX. वसूली, वापसी एवं अग्रिम राशियों का समायोजन			i) टैक्स कटोती (ठेकेदार)	**11,42,781.00**	12,05,619.00
a) फर्मों की सुरक्षा जमा राशी	**15,000.00**	3,54,891.00	j) टैक्स कटोती (वेतन)	**8,98,388.00**	12,17,720.00
b) संविदा कर्मियों की सुरक्षा जमा राशी	**0.00**	1,50,180.00	k) संविदा कर्मियों की सुरक्षा जमा राशी (वापसी)	**0.00**	2,93,146.00
c) आकस्मिक अग्रिम	**4,78,112.00**	6,66,909.00	l) फर्मों की सुरक्षा जमा राशी (वापसी)	**55,000.00**	43,891.00
d) डाक हेतु अग्रिम	**18,708.00**	0.00	m) N.C.P.C.R. को भुगतान	**1,26,594.00**	1,42,828.00
e) यात्रा अग्रिम	**2,96,614.00**	1,83,886.00			
f) एल.टी.सी. (वापसी)	**66,610.00**	2,15,050.00			
g) कम्प्युटर अग्रिम वापसी राशी	**0.00**	3,600.00	**VIII. अंत शेष**		
h) चिकित्सा अग्रिम	**8,000.00**	0.00	a) हाथ रोकड़	**0.00**	0.00
i) मोटर वाहन अग्रिम	**21,600.00**	21,600.00	b) बैंक शेषः		
j) गृह निर्माण हेतु अग्रिम वापसी	**28,896.00**	5,44,896.00	i) चालू खातों में	**0.00**	0.00
k) त्योहार अग्रिम	**22,500.00**	6,000.00	ii) जमा खातों में	**4,36,46,535.00**	5,30,71,115.00
l) टैक्स कटोती (ठेकेदार)	**15,33,207.00**	12,18,767.00			
m) टैक्स कटोती (वेतन)	**8,98,388.00**	12,17,720.00			
n) समय पार चेक	**45,352.00**	1,228.00			
कुल	**55,88,81,598.00**	**28,34,64,267.00**	**कुल**	**55,88,81,598.00**	**28,34,64,267.00**

अन्य सूचनाओं एवं तालिकाओं संबन्धित ज्ञान हेतु कृपया हमारी वैबसाइट **"www.thenationaltrust.in"** को देखें

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के रूप में अनुसूची–24

अनुसूची 24 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परम्परा :

वित्तीय विवरण वर्णनात्मक परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं बशर्ते कि वे लेखांकन की प्रोद्भूत विधि से तैयार न किए गए हों।

2. माल सूची मूल्यांकन :

2.1 स्टोर्स और स्पेयर्स (मशीनरी स्पेयर्स सहित) का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध निर्मित समान तथा निर्मित सामान की गणना कम लागत तथा कुल प्राप्ति मूल्य के आधार पर की जाती है। लागत का आधार भारित औसत मूल्य है। निर्मित तथा अर्द्ध निर्मित सामान की लागत माल, श्रम और संबंद्ध ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

3. निवेश :

3.1 ''दीर्घावधि निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, कमी का प्रावधान यदि कोई हो तो, इस प्रकार के निवेशों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3.2 ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत तथा स्पष्ट मूल्य दोनो में जो कम हो, पर किए जाते हैं इस प्रकार के निवेशों मूल्य में कमी का प्रावधान निवेश के लिए अलग–अलग विचार करके किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली (ब्रोक्रेज), अंतरण स्टाम्प जैसे उपार्जन व्यय शामिल है।

4. उत्पाद शुल्क

निर्यात के अलावा स्वयं के लिए तैयार किए गए सामान के उत्पाद शुल्क की देयता वर्ष के अंत में उत्पादन के पूरा होने तथा उत्पाद कर योग्य निर्मित सामान यदि कोई हो – के प्रावधान पर तय की जाती है।

5. अचल परिसम्पत्तियां :

5.1 अचल परिसम्पत्तियां की अधिग्रहण खर्च की गणना से संबद्ध आंतरिक, भाड़ा, शुल्क तथा करों और आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित लागत आधार पर की जाती है। निर्माण आधारित परियोजनाओं के मामले में संबद्ध परिचालन पूर्व व्यय (वित्तीय परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके ब्याज सहित) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य का हिस्सा माने जाते हैं।

5.2 गैर आर्थिक अनुदानों (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) द्वारा प्राप्त अचल परिसम्पत्तियों का बताए गए, पूंजीकरण मूल्य के आधार पर केपीटल फंड/रिजर्व के अनुवर्ती ऋण के आधार पर किया जाता है।

6. मूल्य ह्रास :

सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार दर्शायी गयी दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष के समापन पर रिसम्पत्तियों के परिमाण पर की गई है। वर्ष के दौरान रू. 4,72,520/– (अनुसूची–8) की राशि की आय–व्यय के लेखे में बट्टा खाते में डाला गया है।

7. विविध प्रकार के खर्च

आयगत व्यय का प्रावधान यदि कोई है तो, पांच वर्षों पर विभाजित किया गया है।

8. स्वास्थ्य बीमा हेतु लेखा–जोखा (निरामय) और बढ़ते कदम

''निरामय'' पर किए गए व्यय का लेखा तथा शुल्क आदि के मद में वसूली गई राजस्व को एकल खाता लेखा में रिकॉर्ड किया गया है – ''स्वास्थ्य बीमा योजना'' के अन्तर्गत 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएं'' शीर्षक से। तथापि, परियोजना पर किए गए कुल व्यय को 'कार्यक्रम एवं परियोजना' के अन्तर्गत अनुसूची–22 में दिखाया गया है, तथा वर्ष के दौरान राजस्व वसूली की आय के रूप में ''शुल्क/अभियान से आय'' के अन्तर्गत अनुसूची–14 में दिखाया गया है।

9. सरकारी अनुदान/इमदाद :

9.1 सरकारी अनुदान के रूप में किसी योजना लगाने के लिये यदि कोई है तो, लागत पूंजी के योगदान को पूंजीगत निधि की तरह लिया जाता है तथा अधिग्रहित विशेष अचल सम्पत्ति के संदर्भ में अनुदान को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के जैसे दिखाया गया है।

9.2 सरकारी अनुदान/इमदाद का लेखा प्राप्ति के आधार पर है।

10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

10.1 विदेशी मुद्रा का संव्यवहार का खाता आवागमन की तिथि में मुद्रा बदलने की प्राप्त दर के अनुसार है।

10.2 वर्तमान सम्पत्ति, विदेशी मुद्रा कर्ज और वर्तमान देयकारी वर्ष की समाप्ति पर बदलने की दर में बढ़ाया गया है और लाभ–हानि परिणाम को अचल सम्पत्ति के लागत में शामिल किया गया है तथा अन्य मामलों में राजस्व माना गया है।

11. लीज

लीज के नियमानुसार लीज किराया का व्यय किया गया है।

12. सेवा निवृत्ति लाभ

12.1 कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त/सेवा की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के लिए अतिरिक्त देनदारी का प्रावधान 31–03–2015 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में किया गया है।

12.2 नए योगदान आधारित पेंशन स्कीम के आरंभ होने के परिणाम स्वरूप, पेंशनर लाभ के प्रावधान हेतु नियमित रूप से P.F.R.D.A. के पास जमा किया जाता है।

लेखा अधिकारी

प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याणार्थ

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के रूप में अनुसूची–25

अनुसूची 25 : आकस्मिक देयताएं तथा लेखा टिप्पणियां :

1. आकस्मिक देयताएं :

1.1 संगठन के दावे ऋण के रूप में प्रतिपादित नहीं किया गया है – रु0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)

1.2 निम्न के संबंध में :

– संगठन की ओर से/की तरफ से दी गई बैंक गारंटी'–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

– संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए क्रेडिट पत्र – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)

– बैंकों से छूट प्राप्त बिल–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग :

– आयकर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

– बिक्री कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

– निगम कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.4 आर्डर पूरे न करने हेतु संगठन द्वारा विरोध करने पर पार्टियों के दावे रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते से पूरा किए जाने वाला अनुमानित मूल्य जिनके लिए कुल अग्रिमों की व्यवस्था नहीं की गई रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

3 पट्टा संबंधी वचनबद्धताएं

प्लांट एवं मशीनरी के लिए पट्टा वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत किराए की भावी वचनबद्धताएं रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

4. चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यावासायिक रूप से उगाही पर निर्भर करते हुए तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई आय कर योग्य नहीं थी, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
6.1	आयात की गणना सी.आई.एफ. पर आधारित है :		
–	निर्मित सामान की खरीद	–	–
–	कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ सहित)	–	–
–	पूंजीगत सामान	–	–
–	स्टोर्स, स्पयेर्स तथा उपभोज्य	–	–
6.2	विदेशी मुद्रा पर व्ययः शून्य	शून्य	
क)	यात्रा		
ख)	वित्तीय संस्थानों/बैंको को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया रुपया/ब्याज	शून्य	शून्य
ग)	अन्य व्यय :		
–	बिक्री पर कमीशन		
–	कानूनी तथा व्यावसायिक व्यय		
–	विविध व्यय		
6.3	अर्जन :		
	एफ. ओ. बी. (FOB) आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षकों के लिए :	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
– कराधान मामले	0.00	0.00
– प्रबंधन मामले	0.00	0.00
– प्रमाणन के लिए	रू0 1,06,410.00	रू0 2,45,715.00
– अन्य आंतरिक लेखा परीक्षण	2,94,945.00	0.00

8. अनुवर्ती आंकड़ों को पिछले वर्ष के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

9. संलग्न 1 से 25 तालिकाएं 31 मार्च 2015 तक के तुलन पत्र तथा इस तारीख को समाप्त आय–व्यय खाते का समग्र भाग है।

लेखा अधिकारी

प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी

सूचित किया जाता है कि परीक्षण विवरण (ऑडिट रिपोर्ट) अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे ही यह उपलब्ध होगी इसको वार्षिक प्रतिवेदन के साथ या अलग से संसद, अन्य मंत्रालयों एवं सभी समबन्धित जगह भेज दी जायेगी।

राष्ट्रीय न्यास कर्मचारी, माननीय केन्दीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय श्री सुदर्शन भगत, सचिव, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग – श्रीमती स्तुति कक्कड़, अध्यक्षा, राष्ट्रीय न्यास – श्रीमती पूनम नटराजन, संयुक्त सचिव (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग) – श्री अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव व एफ.ए. (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग) – श्रीमती किरण पुरी एवं संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास – श्री अजय कुमार लाल

प्रशासनिक विभाग की रिपोर्ट

हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

राजभाषा नीति को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय न्यास कार्यालय मे संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में दिनाक १५–९–२०१४ को ११ बजे बैठक आहूत की गई। बैठक मे राष्ट्रीय न्यास के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया तथा हिंदी भाषा के सर्वांगीण विकास हेतु अपने सुझाव रखे। बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि १५–९–२०१४ से ३०–९–२०१४ तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस अवधि मे हिन्दी लेखन व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिन्दी पखवाड़े को राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने काव्य पाठ एवं हिन्दी से संबन्धित विभिन्न पक्षों की जानकारी दी, जिस हेतु उन्हे पुरस्कृत किया गया।

पखवाड़े के अंतिम दिवस दिनांक ३०–९–२०१४ को राष्ट्रीय न्यास के सभागार में राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव की उपस्थिति मे कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने "स्त्री स्वावलंबन" विषय पर अपने विचार रखे।

कार्यालय में वाद–विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कुमारी अनीता, द्वितीय पुरस्कार कुमारी रीनू व सांत्वना पुरस्कार श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव को देने की घोषणा संयुक्त सचिव महोदय द्वारा की गई, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया।

शब्दावली/शब्द संक्षेप

AEPC	ए0ई0पी0सी0	अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (परिधान निर्यात प्रोन्नयन परिषद्)
ARUNIM	अरुणिम	राष्ट्रीय न्यास के विपणन प्रयास के अंतर्गत पुनर्वास संघ
BK	बी0 के0	बढ़ते कदम
CGC	सी0जी0सी0	देखरेख कर्ता प्रकोष्ठ
CP	सी0पी0	प्रमस्तिष्क घात
CRE	सी0आर0ई0	भारतीय पुनर्वास परिषद् का सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम
GHARAUNDA	घरौंदा	विकलांगताग्रस्त वयस्कों के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक आवास एवं पुनर्वास गतिविधियाँ
ICDS	आई0सी0डी0एस0	एकीकृत बाल विकास योजना
LG	एल0जी0	कानूनी संरक्षण
LLC	एल0एल0सी0	स्थानीय स्तर की समितियां
MD	एम0डी0	बहु विकलांगता
MIS	एम0आई0एस0	प्रबंधन सूचना प्रणाली
MR	एम0आर0	मानसिक मंदता
NDLGC	एन0डी0एल0जी0सी0	कानूनी संरक्षण प्रमाणपत्र का राष्ट्रीय संग्रह स्थान
NRHM	एन0आर0एच0एम0	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
PwD	पी0डब्ल्यू0डी0	विकलांगता व्यक्ति
RCI	टार0सी0आई0	भारतीय पुनर्वास परिषद
SLCC	एस0एल0सी0सी0	राज्य स्तरीय समन्वय समिति
SNAC	एस0एन0ए0सी0	राज्य नोडल एजेंसी केंद्र
SNAP	एस0एन0ए0पी0	राज्य का प्रमुख अभिकरण सहयोगी
SWOT	एस0डब्लू0ओ0टी0	स्ट्रेन्थ वीकनेसस् ऑपरचुनिटिज थ्रैट एनालिसिस (क्षमता दुर्बलता अवसर आषंका विष्लेशण)
UNCRPD	यू0एन0सी0आर0पी0डी0	विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
ZTRT	जेड0टी0आर0टी0	क्षेत्रीय तकनीकी संसाधन प्रशिक्षक
NDD	एन0डी0डी0	न्यूरो विकास विकलांगता
LMIC	एल0एम0आई0सी0	कम और मध्यम आय वाले देश
ADHS	ए0डी0एच0एस0	ध्यान न्यूनता सक्रियता विकार
LD	एल0डी0	शिक्षण विकार
TAG	टी0ए0जी0	तकनीकी सलाहकार समूह
CCC	सी0सी0सी0	आम सहमति लाक्षणिक मानदंड
NMI	एन0एम0आई0	न्यूरो मोटर न्यूनता
NDST	एन0डी0एस0टी0	न्यूरो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग उपकरण